उन्नति विचार

वर्ष : 9 अंक : 4 अक्टूबर-दिसंबर, 2004

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
राष्ट्रीय आदिवासी नीति : कुछेक प्रश्न

आपके लिए
- मध्याह्न भोजन योजना : शहर की स्थानीय स्वशासी 11
- संस्थाओं में दल-बदल विरोधी कानून 17

अपनी बात 19
एकाकी नारियों की मुसीबतों में वृद्धि

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 26

संदर्भ सामग्री 31

अपने बारे में 34

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

सामाजिक सतर्कता : हमारा कर्तव्य

यह तथ्य अनेक आर्थिक व सामाजिक शोधों के बाद सिद्ध हो चुका है कि लोकतंत्र और विकास का सीधा सम्बंध है। इस प्रकार ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विकास की पोषक है। परंतु लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी लोग केंद्र में होने चाहिए, विशेष रूप से समाज के वंचित व पिछड़े वर्ग शासन व्यवस्था में भागीदार होने चाहिए। विकास के फल इन वर्गों को प्राप्त नहीं होते, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोकतंत्र में भी शासन करने वाली संस्थाएं इन वर्गों को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं करतीं। इससे शासक व शासित के दो वर्ग बन जाते हैं और शासन एक अलग प्रक्रिया के रूप में काम करता है। शासन लोगों के लिए है, यह विचार लोकतंत्र का केंद्रीय विचार है अतः शासन की प्रक्रिया लोककेन्द्री बने, यह अत्यंत अनिवार्य है। इस संदर्भ में 'नेशनल सोशियल वाच कोयलिशन' इस हेतु भारत में एक प्रयास कर रहा है। यह सभ्य समाज के संगठनों, नागरिकों एवं समुदायों का एक नेटवर्क है जो सामाजिक विकास के लक्ष्यों के संबंध में शासन की कार्यवाही पर देखरेख रखने की प्रक्रिया को गतिवान बनाता है। शासक जो वचन देते हैं, उनका पालन करते हैं या नहीं, और शासन करने वाली संस्थाएं नागरिकों के विकास हेतु तथा लोकतांत्रिक मूल्यों हेतु प्रतिबद्ध रहती हैं या नहीं, यह देखने-पता लगाने का काम कर रहा है।

वह प्रशासनिक, न्यायतंत्र, संसद एवं स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की कार्यवाही और कार्यक्षमता पर देखरेख रखने का अभिगम अपनाता है। यह देखने का काम करता है कि अधिकार, विकास, स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे बुनियादी आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा संरक्षण होता है या नहीं। इस काम के एक भाग के रूप में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया तभी सुदृढ़ व सफल होती है जब लोग सक्रिय व स्वैच्छिक रूप से स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करें। इस प्रक्रिया की यही मांग है कि नागरिक सिर्फ मतदाता न बने रहें वरन् सक्रिय हितैषी बनें। सभ्य समाज के संगठनों को सिर्फ विकास की प्रक्रिया लोगों तक ले जाने का काम ही नहीं करना है वरन् प्रशासनिक संस्थाएं लोगों के लिए और विशेष रूप से वंचितों व रहितों के लिए कितना व कैसा काम कर रही हैं यह देखने का दायित्व भी सक्रियता के साथ निभाना है, क्योंकि शासन व्यवस्था का अस्तित्व सिर्फ आंतरिक व बाह्य भौतिक सुरक्षा ही नहीं, वरन् समाज के वंचित वर्गों का विकास करना और उसमें उन्हें भागीदार बनाना तथा शासन को उनके पास तक ले जाना भी है, यह एक स्वीकृत सामाजिक ध्येय बन चुका है।

राष्ट्रीय आदिवासी नीति : कुछेक प्रश्न

भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार आदिवासियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार किया गया है और उसका मसौदा प्रकाशित किया गया है। इस मसौदे ने देश भर में व्यापक चर्चा छेड़ी है। **'पूर्वी पट्टी विस्तार विकास मंच' और 'बिहेवियेरल साइंस सेंटर'** द्वारा **गुजरात** में तथा देश में अन्य संस्थाओं के सहयोग से जो चर्चा-परिचर्चा की गई वह इस आलेख में प्रतिबिम्बित है। यहां इस नीति के महत्वपूर्ण मुद्दों और उनसे उत्पन्न विवाद के मुद्दों का समावेश किया गया है। यह आलेख किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता वरन् उभरी हुई चर्चा को उजागर करता है।

प्रस्तावना

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की विकास की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियां अर्थात् आदिवासी पिछड़ा हुआ वर्ग है। देश में हुए आर्थिक विकास ने उन्हें स्पर्श नहीं किया अथवा यह बहुत कम स्पर्श किया हुआ वर्ग है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय आदिवासी नीति' तैयार करने पर विचार किया और उससे संबंधित एक मसौदे तैयार किया है। इस मसौदा पर देश भर में अभी चर्चा हो रही है।

२००१ की जनगणना के अनुसार भारत की कुल १०० करोड़ की आबादी में ६.७८ करोड़ लोग अर्थात् ८.०८ प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पांडिचेरी और पंजाब जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ कर देश के शेष समस्त राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग ६९८ अनुसूचित जनजातियां हैं। उड़ीसा में सबसे अधिक ६८ अनुसूचित जनजातियां है। संविधान की धारा ३४२ के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की घोषणा की गई है। १९५० में ऐसा पहला घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने से पहले उस जाति के आदिम जाति के रूप में लक्षण, भिन्न संस्कृति, सामान्य लोगों से अधिक शर्मीलापन, भौगोलिक अलगाव तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पिछड़ेपन को ध्यान में लेते हैं। ६९८ अनुसूचित जनजातियों में से ७५ को आदिम जाति समूह के रूप में पहचाना गया है। इसका कारण यह है कि वे अन्य जनजातियों की बजाय ज्यादा पिछड़े हैं। वे अब भी अर्थतंत्र के कृषिपूर्व युग में जी रहे हैं और उनमें साक्षरता की दर बहुत नीची है। उनकी आबादी स्थिर है या घट रही है।

भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय आदिवासी नीति' का जो मसौदा जारी किया है उसमें आदिवासियों के विकास सम्बंधी विविध पहलुओं को साधा गया है। राष्ट्रीय नीति यह बात जानती है कि बहुसंख्यक अनुसूचित जनजातियां गरीबी रेखा से नीचे जी रही हैं, साक्षरता नीची है, कुपोषण व रोगों से पीड़ित हैं और विस्थापित होती हैं। उसमें यह बात भी स्वीकार की गई है कि अनुसूचित जनजातियां कई मामलों में देशज ज्ञान व चातुर्य की भंडार हैं। राष्ट्रीय नीति दृढ़तापूर्वक इनमें से प्रत्येक समस्या के हल का लक्ष्य रखती है, उसमें आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु उठाये जाने वाले कदमों का भी उल्लेख है।

हालांकि आदिवासियों के बीच काम करने वाले विविध गैर-सरकारी संगठन उनके नेताओं व नीति के विषय में अलग-अलग राय रखते हैं। उन मंतव्यों में से एक मंतव्य यह है कि इस नीति का विरोध करना चाहिए और इसे हटा देना चाहिए। दूसरा एक मंतव्य ऐसा है कि पहली बार यह नीति बनाई गई है तो इसका स्वागत करके इसमें जो कुछ सुधार जरूरी लगें वे सूचित किये जाएं।

नीति का मसौदा

भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय आदिवासी नीति' का जो मसौदा तैयार

किया है उसके महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं:

यह नीति आदिवासियों को, उनकी भिन्न संस्कृति में विक्षेप डाले बिना, उनके सर्वांगीण विकास हेतु बहुपक्षीय अभिगम द्वारा समाज की मुख्य धारा में लाना चाहती है। अनेक धाराओं के द्वारा संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं सक्षमता हेतु व्यवस्था की है, परंतु ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं जो इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को वास्तविकता में रूपांतरित करने में मददगार हो सके। १९५२ में नेहरु के पंचशील के पांच सिद्धांत आये और वे आदिवासियों संबंधी प्रबंध में मार्गदर्शक बने। वे हैं :

(१) आदिवासियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार विकास करने देना चाहिए
(२) जंगल व जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को मान्य रखा जाना चाहिए
(३) बाहर के बहुत सारे लोगों को भर्ती किये बिना आदिवासियों की टुकड़ियों को प्रबंध एवं विकास का काम संभालने का प्रशिक्षण देना चाहिए
(४) आदिवासियों की सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं को विक्षेप पहुंचाये बिना आदिवासियों का विकास हाथ में लेना चाहिए
(५) आदिवासियों के विकास का लक्ष्य उनके जीवन की गुणवत्ता होना चाहिए न कि खर्च की गई राशि।

नेहरु का पंचशील सिद्धांत सामान्य व्यापक बातों को ही व्यक्त करता था और निश्चित बातों का उसमें अभाव था। अतएव भारत सरकार ने आदिवासियों के विकास को गति देने के लिए पहली बार अक्टूबर १९९९ में आदिवासी मामलों के मंत्रालय की रचना की। आदिवासी मामलों का मंत्रालय अब 'राष्ट्रीय आदिवासी नीति' का मसौदा जारी कर रहा है। आदिवासी नेताओं, संबंधित राज्यों, व्यक्तियों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया के आधार पर मंत्रालय अब इस नीति को अंतिम रूप देगा।

१. वैधिक शिक्षण

आदिवासियों को शिक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय नीति इन बातों पर ध्यान देगी :

(१) मानव संसाधन विकास द्वारा संचालित 'सर्व शिक्षा अभियान' के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आदिवासियों का समावेश किया जाए।
(२) जिन क्षेत्रों में शालाओं व छात्रावासों की सुविधाएं नहीं है वहां वे प्रदान की जाएं।
(३) शिक्षा को पूरक पोषण की व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए।
(४) आर्थिक मदद, जेब खर्च, पाठ्य पुस्तकों व पोशाक का बिना मूल्य वितरण जैसे विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जाए।
(५) कम से कम प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। शिक्षित आदिवासी युवकों को जहां संभव हो वहां शिक्षक के रूप में नौकरी दी जाए। शिक्षण पद्धति को प्रांसगिक बनाया जाए ताकि आदिवासियों को वह विदेशी न लगे।
(६) अभ्यासक्रम व उसके आनुषंगिक मामलों में ऐसे पहलुओं को समाविष्ट किया जाए ताकि आदिवासियों की कुशलता में वृद्धि हो। कुशलता बढ़ाने के लिए अभ्यासक्रम में आदिवासी खेलों, धनुर्विद्या, चिकित्सकीय महत्व वाले पौधों की पहचान, हस्तकला व संस्कृति, लोक नृत्यों तथा लोक गीतों, लोक चित्रकला आदि का समावेश होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षण पर बल दिया जाए, वन विद्या, बागवानी, डेरी उद्योग, पशुपालन जैसे विषयों के अध्ययन हेतु पॉलीटेकनीक स्थापित किये जाएं।

२. परंपरागत चातुर्य

राष्ट्रीय नीति की अपेक्षा है कि :

(१) आदिवासियों के परंपरागत ज्ञान व चातुर्य का संरक्षण किया जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और उनका दस्तावेजीकरण किय जाए।
(२) परंपरागत चातुर्य के क्षेत्रों में आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु एक केन्द्र की स्थापना की जाए।
(३) नमूनों द्वारा ऐसे ज्ञान व चातुर्य को प्रचार-प्रसार किया जाए

और उचित स्थानों पर उन्हें प्रदर्शित किया जाए।

(४) ऐसे ज्ञान व कौशल को गैर-आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाया जाए।

३. स्वास्थ्य

राष्ट्रीय नीति आधुनिक स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहती है और आयुर्वेद तथा सिद्ध जैसी भारतीय चिकित्सा व्यवस्थाओं का आदिवासी व्यवस्था के साथ संयोजन करना चाहती है। राष्ट्रीय नीति चाहती है कि :

(१) आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक दाई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की त्रिस्तरीय व्यवस्था के विस्तार के साथ एलोपेथी चिकित्सा व्यवस्था मजबूत बने।

(२) आदिवासी आबादी की वृद्धि के साथ अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की जाए।

(३) विविध आदिवासी क्षेत्रों में जो उपाय किये जाते हों, उसके खरेपन की छानबीन करना व प्रमाणित करना।

(४) आदिवासियों की परंपरागत दवाओं को प्रोत्साहन देना, उनका दस्तावेजीकरण करना व पेटेंट लेना।

(५) औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देना, उनकी मूल्य वृद्धि के लिए कार्यनीति बनाना और उसके लिए युवकों को प्रशिक्षण देना।

(६) आदिवासी क्षेत्रों में सेवा हेतु योग्यता रखने वाले आदिवासी चिकित्सकों को प्रोत्साहन देना।

(७) नियमित प्रशिक्षण व अभिमुखता अध्ययन कार्यक्रमों के द्वारा आदिवासी ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शकों के एक मजबूत दल के गठन को प्रोत्साहन देना।

(८) स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़े व उपयोग बढ़े, इसके लिए संबंधित क्षेत्रों विषयक कार्यनीति निर्मित करनी चाहिए।

(९) आदिवासियों को होने वाले रोगों के बारे में शोध हो तथा कार्यक्रम आरंभ किये जाएं।

(१०) युद्ध स्तर पर रोग के प्रसार को दूर करना।

४. विस्थापन व पुनर्स्थापन

'राष्ट्रीय आदिवासी नीति' आदिवासी लोगों के विस्थापन को कम से कम रखना चाहती है और बिना विस्थापन या अल्प विस्थापन के विकल्प हों ही नहीं, तभी विस्थापन हो, ऐसा चाहती है। अनुसूचित जनजाति के लोगों के व्यापक हित में विस्थापन करना जरूरी हो ही जाए, तब विस्थापितों को अधिक उत्तम जीवन स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः राष्ट्रीय नीति, जब आदिवासियों का पुनर्वास किया जाए तब निम्न प्रकार के मार्गदर्शकों का पालन करवाना चाहती है :

(१) जब विस्थापन अनिवार्य हो जाए तब विस्थापित होने वाले जमीन के स्वामी प्रत्येक आदिवासी परिवार को जमीन के स्थान पर जमीन दी जाए। कम से कम लगभग दो हैक्टेयर कृषि योग्य जमीन एक परिवार (पति-पत्नी व उनके अविवाहित बच्चों) हेतु अनिवार्य व वांछनीय है।

(२) अपने मूल पर्यावरण में मछली पकड़ने का अधिकार रखने वाले आदिवासी परिवारों को नए सरोवर में या अन्य किसी वैकल्पिक स्थान पर मछली पकड़ने के अधिकार दिये जाएं।

(३) मूल निवास स्थान पर आरक्षण के जो लाभ मिलते हों, वे लाभ पुनर्स्थापना वाले क्षेत्रों में भी चालू रहने चाहिए।

(४) वन उत्पाद पर परंपरागत अधिकारों व स्वामित्व अधिकारों के नुकसान के बदले लगभग डेढ़ वर्ष का न्यूनतम खेतीहर मजदूर वेतन अतिरिक्त वित्तीय सहायता के बतौर उसे दिया जाना चाहिए।

(५) विस्थापित होने वाले सभी लोगों को एक समूह के रूप में उनके प्राकृतिक वातावरण के समीप पुनर्स्थापित करना चाहिए ताकि वे अपनी वंशीय, भाषागत व सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान बनाये रख सकें तथा संबंधों के तंत्र तथा पारस्परिक कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।

(६) सामाजिक व धार्मिक समारोहों हेतु बिना मूल्य भूमि प्रदान की जाए।

(७) जिले या तहसील से बाहर ही पुनर्स्थापन होना हो तो वित्तीय संदर्भ में उन्हें काफी ऊंचा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(८) जब बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों का विस्थापन होना हो तब नए स्थानों पर सभी आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाए। उनमें सड़कों, गलियों, बिजली, गटर व्यवस्था व सफाई, पेयजल, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं, वाजिब भाव

की दुकानों, कम्युनिटी हॉल व पंचायत घर जैसी सुविधाओं का समावेश हैं।

५. वन्य ग्राम

राष्ट्रीय नीति सुझाती है कि हर तरह के बलपूर्वक विस्थापन को टाला जाना चाहिए। अधिक उत्तम अवसर मिलने पर मनुष्य अपने आप नई जगहों पर चले जाते हैं। वन्य ग्रामों का राजस्व ग्रामों की तरह ही विकास किया जा सकता है ताकि इन ग्रामवासियों को राजस्व ग्रामों के जैसी ही न्यूनतम सुविधाएं व सेवाएं मिले। अतः राष्ट्रीय नीति चाहती है कि :

(१) वन्य ग्रामों के ग्रामवासियों को शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं, बिजली व संचार, सड़कें व अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(२) अन्न की समस्या टालने हेतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और 'अनाज बैंक' स्थापित किया जाना चाहिए।

(३) खेती व पशुपालन की आधुनिक तकनीक शुरू की जाए ताकि वन्य ग्रामों के ग्रामवासी अपने उत्पादन, आय व आर्थिक स्तर को ऊपर उठा सकें।

(४) आय-अर्जन की सक्षम परियोजनाओं हेतु उद्यमियों को बैंको व अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरफ से ऋण दिया जाए।

(५) संयुक्त वन संचालन में भागीदार होने हेतु आदिवासियों को मौका दिया जाए और वन से सम्बंधित महत्वपूर्ण कार्यों हेतु सहकारी मंडल व कंपनियां गठित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।

(६) वन क्षेत्रों के भीतर व आसपास समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाथ में लिये जाने चाहिए।

(७) गौण वन उत्पादों के संरक्षण, पुनर्सजन व एकत्रीकरण संबंधी आदिवासियों के अधिकार मान्य रखे जाएं और ऐसे उत्पादों की बिक्री हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएं।

(८) आदिवासी विकास सहकारी निगम, बड़े आकार की बहु उद्देश्यीय सहकारी समिति व वन विकास सहकारी समितियों जैसी सहकारी समितियों में बिचौलियों के द्वारा होने वाले शोषण के निवारण का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जैसे कृषि उत्पादों से भिन्न उत्पादों हेतु किये जाते हैं वैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने चाहिए।

६. खेती की जमीन की अदला-बदली

खेती के लिए जमीन की अदला-बदली की समस्या का सामना करने के लिए राष्ट्रीय नीति निम्न प्रकार के पक्षों पर ध्यान केंद्रित करेगी :

(१) किराये की जमीन की व्यवस्था में सुधार करेगी जिससे आदिवासियों को जमीन के स्वामित्व का अधिकार मिले। इससे वे जमीन और उर्वरता नष्ट होने को रोकने के लिए अपनी शक्ति व संसाधनों का उपयोग करेंगे। अब तक उनकी उपेक्षा ही हुई है क्योंकि जमीन का स्वामित्व किसी का नहीं होता। हर आदमी उसका शोषण करता था।

(२) कृषि वैज्ञानिकों से बोने-जोतने हेतु जमीन की अदला-बदली पर ध्यान केन्द्रित करने तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुकूल तकनीक विकसित करने को कहेगी।

(३) जो खेती हेतु जमीन बदलते हैं उन्हें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व अनाज बैंक द्वारा पर्याप्त अन्न अवाप्ति का विश्वास दिया जाना चाहिए।

(४) वैकल्पिक आर्थिक व्यूहरचना के विषय में आदिवासियों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण व प्रस्तार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिससे वे जमीन की अदला-बदली करने की खेती की पद्धति से बाहर आएं।

७. जमीन से अलगाव

अनुसूचित जनजाति के लोगों के महत्वपूर्ण साधन जमीन को उनकी इच्छा के विरुद्ध गैर-आदिवासियों को देने दिया जा रहा है और इस तरह उनका शोषण किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु राज्यों के पास कई रक्षात्मक कानून हैं, पर जमीन-विहीन आदिवासियों को अब भी उनकी जमीन वापिस नहीं मिली। इसके बावजूद, जब राज्य जल-विद्युत मुख्यालयों, खदान काम और उद्योगों की विकासपरक परियोजनाएं हाथ में लेती है तब अलग ही तरह का भूमि अलगाव अस्तित्व में आता हैं। ये विकासपरक परियोजनाएं सीधे-सीधे आदिवासियों को कोई लाभ

नहीं पहुंचाती, वरन् उन्हें भूमिहीन बनाती हैं। राष्ट्रीय नीति चाहती है कि जमीन से अलगाव की समस्या का सामना आदिवासियों के लिए निम्न प्रकार से हो : आदिवासियों को गांव की जमीन के दस्तावेज प्राप्त हों, पंचायत में जमीन के दस्तावेज प्रदर्शित किये जाएं, आदिवासियों की जमीन संबंधी विवाद के हल हेतु दस्तावेज न हों तो मौखिक सबूत को ध्यान में रखा जाए, आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को देने पर राज्य प्रतिबंध लगायें, आदिवासियों को जमीन के सर्वेक्षणों के साथ जोड़ा जाए आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामवासियों को जोतने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाए कारण कि वह सदियों से उनके पास है। जो राज्य विकासपरक परियोजनाएं हाथ में लें, वे यह ध्यान रखें कि आदिवासियों की जमीन यथावत् रहे और जहाँ यह संभव न हो वहां परियोजना शुरू होने से पहले ही उन्हें जमीन आवंटित कर दी जाए।

८. आदिवासी भाषाएं

आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं नहीं माना जाता। बदलती शैक्षिक परिस्थिति के संदर्भ में बहुत सी आदिवासी भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। भाषा के लुप्त होने से आदिवासी संस्कृति और विशेष रूप से उनकी लोक संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। राष्ट्रीय आदिवासी नीति इन भाषाओं के संरक्षण व दस्तावेजीकरण का उद्देश्य रखती है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षण, इसे प्रोत्साहन दिया जाए। आदिवासी भाषाओं में पुस्तकों व अन्य प्रकाशनों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

९. आदिम जाति समूह

राष्ट्रीय नीति आदिम जाति समूहों की समस्याओं का सामना करने हेतु निम्न कदम उठाने की बात सोच रही है :

(१) आदिम जाति समूहों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने हेतु वे 'आदिम' हैं, ऐसा कलंक दूर किया जाएगा।

(२) निश्चित समय-सीमा में उन्हें अन्य अनुसूचित जनजातियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास किया जाएंगे। संबंधित आदिम जाति समूह हेतु और स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल रहने जैसे विकासपरक प्रयास किये जाएंगे।

(३) प्रभावी प्रतिरोधात्मक व उपचारात्मक स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू की जाएगी।

(४) रोग को रोकने की तथा सेवा-शुश्रूषा की आदिम जाति समूहों की परंपरागत पद्धतियां जांची जाएंगी और उनकी खरेपन की छानबीन की जाएगी।

(५) आदिम जाति समूहों में साक्षरता की निम्न दर की समस्या दूर करने हेतु विस्तार एवं अनिवार्यता आधारित शिक्षण व कौशल में वृद्धि साथ प्राधान्य दिया जाएगा।

(६) सर्व शिक्षा अभियान का लाभ लेकर औपचारिक शाला पद्धति को मजबूत किया जाएगा। प्रशिक्षित आदिवासी युवकों की शिक्षकों के रूप में नियुक्ति की जाएगी।

(७) आदिवासियों की मातृभाषा में या बोली में शिक्षा दी जाएगी।

(८) आदिम जाति समूहों की गरीबी को ध्यान में रखते हुए शाला जाने वाले बालकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(९) व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा।

(१०) आदिम जाति समूह जमीन का अधिकार भोगेंगे। जमीन से अलगाव का कोई भी स्वरूप रोका जाएगा और भूमिहीन आदिम जाति समूहों को भूमि प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

(११) अन्न की नियमित रसद बनी रहे, इसके लिए सार्वत्रिक वितरण व्यवस्था दाखिल की जाएगी। आपातकाल के दौरान अन्न मिलता रहे यह देखने के लिए अनाज बैंक बनाए जाएंगे।

(१२) आदिम जाति समूहों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने हेतु तथा जंगलों के साथ उनके भावात्मक रिश्ते को पोषित करने हेतु वनों के संचालन में आदिम जाति समूहों की सहभागिता रहे, यह देखा जाएगा।

१०. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित क्षेत्र धारा-२४४ (१) तथा धारा-२४४(२) के अनुसार पांचवीं व छठी अनुसूची के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्र तय करने हेतु अपनाई जाने वाली अवधारणा व कार्यनीति के विषय में राष्ट्रीय नीति निम्नानुसार कदम उठाना चाहती है :

आदिवासी क्षेत्रों में सुशासन, शांति और भाईचारा बनाये रखने सम्बंधित राज्य सरकारों की नियमनकारी सत्ताओं को अधिक मजबूत किया जाएगा। आदिवासी सलाहकार परिषदें नियमित रूप से मिलें तथा विकासपरक काम द्रुत हों तथा जमीनों की नाम-बदली पर प्रतिबंध लादा जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त के साहूकारी नियमों के क्रियान्वयन द्वारा निजी साहूकारों की कुप्रथा पर अकुंश लागया जाएगा। जिन राज्यों में आदिवासी क्षेत्र हैं वहां आदिवासी सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी और जिन राज्यों में आदिवासी क्षेत्र घोषित नहीं किये गए वहां आदिवासी काफी बड़ी संख्या में हों तो वहाँ भी ये क्षेत्र स्थापित किये जाएंगे। उत्तर-पूर्वी भारत के राज्यों में स्वायत्त जिला/प्रादेशिक परिषदों को अधिक मजबूत बनाया जाएगा। ये परिषदें निर्वाचित होंगी और इन्हें कानून बनाने का तथा न्याय की व्यवस्था करने के अधिकार होंगे।

११. प्रशासन

राज्यों तथा जिलों में समन्वित आदिवासी विकास संस्थाओं तथा समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं का वर्तमान प्रशासन-तंत्र कार्यवाही की गुणता के संदर्भ में तथा विकास के निर्देशकों के संदर्भ में योग्य स्तर नहीं हैं। राष्ट्रीय नीति इस प्रशासन-तंत्र को निम्न उपायों द्वारा पुनर्जीवित करना चाहती है :

(१) आदिवासी प्रशासनिक अधिकारियों हेतु कौशल वृद्धि अभिमुखता कार्यक्रम हाथ में लिये जाएंगे।

(२) ढांचागत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अधिकारी अपने कार्यलय की जगहों से काम करें।

(३) आदिवासी प्रशासन हेतु ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे जो पर्याप्त ज्ञान, अनुभव व आदिवासियों की समस्याओं के प्रति सजग हों।

(४) आदिवासियों की दशा सुधारने की योजना में समय लगता है अत: अधिकारियों से उनके क्रियान्वयन हेतु सहमति के अनुसार समयावधि तय की जाएगी।

१२. समायोजन

आदिवासियों को देश की मुख्य धारा में लाने हेतु राष्ट्रीय नीति चाहती है कि

(१) आदिम लक्षण धारण करने वाले आदिवासी समूहों की पहचान प्राथमिकता के स्तर पर की जाएगी

(२) जनजाति की विशिष्ट संस्कृति उनकी लोक कला, लोक साहित्य, परंपरागत हस्तकलाओं व मूल्यों में व्यक्त हो, इसका प्रयास किया जाएगा। उनकी मौखिक परंपरा का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और कला को प्रोत्साहन दिया जाएगा

(३) आदिवासियों को अन्य संस्कृतियों के सम्पर्क में आने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

(४) सड़कों, परिवहन व संचार के साधनों के विकास व राहत की दर पर प्रवास की सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा उनका भौगोलिक अलगाव न्यूनतम किया जाएगा।

पूर्व पट्टी क्षेत्र विकास मंच

अहमदाबाद में दिनांक २०.१२.२००४ को पूर्व पट्टी क्षेत्र विकास मंच द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी नीति के बारे में एक परिसंवाद आयोजित किया गया था। इस परिसंवाद में इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि राष्ट्रीय आदिवासी नीति में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन करने चाहिए। इस संदर्भ में प्रस्तुत हुए महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं :

'जनपथ' के अग्रणी श्री अनिल भट्ट ने बताया था कि आदिवासियों

की संस्कृति में विकृति आने के बावजूद उनके जीवन पर विकास को विधायक प्रभाव नहीं पड़ा। वनों में रहने वाले आदिवासियों को वन विभाग के अंकुश में नहीं रहना चाहिए। उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। प्रो. घनश्याम शाह ने यों कहा था कि आदिवासी नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे आदिवासियों के जल, जमीन व जंगल के अधिकार सुरक्षित रहें। शिक्षा, आयुष्य, बाल मृत्युदर, रोगों आदि को उनके विकास का मापदंड रखे जाएं। हमें सिर्फ संस्कृति की बात नहीं करनी चाहिए। हमें आदिवासियों की विरासत का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। हम अनेक अस्मिताओं को बचाने का प्रयास करते हैं, अतः इस विषय में स्पष्टता होनी चाहिए। सुरक्षित जीवन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आदिवासी संस्कृति व प्रकृति के साथ जीवन निर्वाह हेतु उनका संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आदिवासियों के सामूहिक जीवन की रक्षा करने तथा स्त्रियों का समान दर्जा देने का प्रयास हमें करना चाहिए। १९९१ की जनगणना के अनुसार २५० लाख आदिवासियों ने स्थलांतरण किया है। हमें इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। आदिवासियों का विस्थापन हो उससे पहले उनके पुनर्वास हेतु प्रयास होने चाहिए।

गुजरात विद्यापीठ के आदिवासी प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र के निदेशक श्री चंद्रकांत उपाध्याय ने कहा था कि इस नीति में आदिवासियों के अधिकारों का वास्तव में कोई उल्लेख नहीं किया गया। कोई भी नीति घोषित होने के बाद हमेशा उस नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कानून बनाया जाता है, पर क्या इस राष्ट्रीय आदिवासी नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कानून बनाया जाता है, पर क्या इस राष्ट्रीय आदिवासी नीति के क्रियान्वयन हेतु क्या सरकार कोई कानून बनाने पर सोचती है? उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु नया प्रशासनिक तंत्र निर्मित हुआ है पर उसमें पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। उसके ज्यादातर कर्मचारी यह मानते हैं कि आदिवासी ही विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस मानसिकता को बदलने की ज्यादा जरूरत है। सिर्फ १.५ प्रतिशत बजट आदिवासी क्षेत्रों के तथा आदिवासियों के विकास हेतु खर्च होता है। क्या यह पर्याप्त है?

बड़ौदा के प्रो.देवी ने कहा था कि इस राष्ट्रीय आदिवासी नीति में कोई गंभीरता नहीं। सभी आदिवासियों की अलग-अलग भाषाएं है। प्रत्येक आदि जाति की अलग-अलग संस्कृति है और परंपराएं हैं। आदिवासियों के विकास हेतु उन सबको समझने की जरूरत है। फिर यह नीति कोई कार्यक्रम नहीं। यह नीति राजनीतिक प्रयोजन वाली भी दिखती है। आदिम जातियों के विकास हेतु विशेष प्रयासों की जरूरत रहती है। वास्तव में, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक 'राष्ट्रीय आदिवासी मंच' की जरूरत है। डॉ.सिद्धराज सोलंकी ने कहा था कि समग्र नीति में कहीं 'आदिवासी' (इंडिजिनस) शब्द नहीं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'आदिवासी' शब्द स्वीकार किया गया है, तो भारत सरकार को भी इसे स्वीकार करना चाहिए। आदिवासी भाषाओं के अस्तित्व को टिकाये रखने के प्रयास करने की जरूरत है क्योंकि उनकी भाषाएं ही उनकी संस्कृति को व्यक्त करती हैं।

सुश्री तृप्ति परीख ने कहा था कि आदिवासियों के स्वास्थ्य की समस्याओं के हल हेतु परंपरागत औषधियों व सेवा-शुश्रूषा व्यवस्था की हिफाजत की भी जरूरत है। सरकार नीति बनाती है तो उसके द्वारा आदिवासियों का विकास होना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों का विकास होना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की स्थिति सुधरनी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की स्थिति सुधरनी चाहिए। जंगल की सम्पदा पर उनके अधिकार स्थायी रहने चाहिए। जंगल की सम्पदा पर उनके अधिकार स्थायी रहने चाहिए। 'गणतर' के श्री सुखदेव पटेल ने कहा था कि समग्र देश में शिक्षा में निजीकरण हो रहा है। ऐसे में आदिवासी शिक्षण से वंचित न रह जाएं, यह देखना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से स्थलांतरण करने वाले आदिवासियों के बालकों के शिक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि छः वर्ष की उम्र वाले आदिवासी बालकों को पोषाहार मिले।

प्रो. हेमन्तकुमार शाह ने बताया था कि इस नीति में आदिवासी स्व-शासन के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। १९९२ में ७३वां संविधान संशोधन पंचायतों को तीसरे स्तर की सरकार बनाने के

लिए किया गया। बाद में श्री दिलीपसिंह भूरिया की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संसद ने १९९६ में देश के आदिवासी क्षेत्रों पर ७३वां संविधान संशोधन लागू करने हेतु एक कानून बनाया। इस कानून ने आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतों को कई विशेष सत्ताएं सौंपी और कई विशेष काम सौंपे। आदिवासियों के विकास संबंधी किसी भी नीति या किसी भी कार्यक्रम में आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतों को सक्षम बनाने का मुद्दा शामिल होना चाहिए। आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु पंचायतें महत्वपूर्ण संवाहक बन सकती हैं और स्वशासन की प्रक्रिया द्वारा लोकतंत्र अधिक मजबूत बन सकता हैं।

'दिशा' के अग्रणी व लोकसभा के सदस्य श्री मधुसदन मिस्त्री ने बताया था कि आदिवासी क्षेत्रों में भी बहुत विविधता है। अतः विविध क्षेत्रों हेतु नीति से उत्पन्न होने वाले कार्यक्रम अलग अलग हो सकते हैं। मुख्य मुद्दा विकास का है तथा रोजगार के सर्जन का है। ग्राम अंचलों में विकास के कामों द्वारा रोजगार का सर्जन हो, यह जरूरी है। आदिवासी स्वयं अपनी जरूरतें पहचानें और सरकार उनके लिए जरूरी संसाधन प्रदान करे। आदिवासियों के आर्थिक ढांचे में ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिनसे उनकी उत्पादकता बढ़े और आर्थिक स्थिति सुधरे। उनकी संस्कृति को संरक्षित करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उनकी विकास प्रक्रिया आगे बढ़ाना।

दिल्ली घोषणा

२० से २२ सितंबर २००४ के बीच नई दिल्ली में आदिवासियों की एक राष्ट्रीय सभा जुड़ी थी। उस सभा ने राष्ट्रीय आदिवासी नीति विषयक एक 'दिल्ली घोषणा' प्रसारित की थी। उसमें आदिवासियों के मित्र, साथी, समर्थक भी उपस्थित थे। उस सभा में स्वीकृत 'दिल्ली घोषणा' के आमुख में लिखे अनुसार भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आदिवासी नीति का मसौदा जारी किया है उसे सबकी सहमति से अस्वीकार कर दिया गया था। पिछले कई महीनों के दौरान स्थानीय स्तर पर, विभागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो विविध चर्चा परिचर्चाएं हुई थी उनके आधार पर 'दिल्ली घोषणा' में यह वृत्ति स्वीकार की गई थी। आसाम के अकाजान में २ से ४ जून २००४ के दौरान, झारखंड के रांची में २४-२५ जुलाई २००४ के दौरान, कर्नाटक के बंगलोर में ४ से ६ सितंबर २००४ के दौरान तथा गुजरात के अहमदाबाद में ९-१० सितंबर २००४ के दौरान ये विमर्श सभाएं आयोजित की गई थीं। उनमें हुई विशद चर्चाओं के अंत में 'राष्ट्रीय आदिवासी नीति' के मसौदे को अस्वीकार करना तय हुआ था।

'दिल्ली घोषणा' के आमुख में लिखे अनुसार 'राष्ट्रीय आदिवासी नीति' के मसौदे को नकारने के कारण निम्न हैं :

(१) मसौदा तैयार करने की योग्य प्रक्रिया के बिना, भारत के सबसे ज्यादा पिछड़े समुदायों जैसे आदिवासी लोगों के अधिकार अस्तित्व एवं विकास के सर्वग्राही निर्माण स्वरूप दस्तावेज होने की जो आशा रखता है और जो राज्य की संबंधित जिम्मेदारियों व कर्तव्यों की प्रतिबद्धता रखता है, वह अपना प्रयोजन सिद्ध करे ऐसी आशा नहीं रखी जा सकती।

(२) दस्तावेज में मानव अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के निश्चित उल्लेख बिना, आदिवासी व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से भेदभाव के मूल कारण की वजह से जिस परिस्थिति का सामना करते हैं, उसका, उनके अधिकारों के प्रति अनादर रखकर समाधान नहीं किया जा सकता।

(३) अधिकारों के वर्तमान तथा विकसित हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तथा भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता इस नीति-विषयक दस्तावेज की बुनियाद होनी चाहिए। आदिवासी लोगों की प्रतिष्ठा, संस्कृति और पहचान हेतु स्पष्ट आदर व प्रतिबद्ध आकार संवैधानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विकासमान स्तरों अधीन न दिया जाए तो, उनके अधिकारों की प्राप्ति संभ नहीं।

(४) पारदर्शी, सहभागी और समावेशी प्रक्रिया के अभाव में और गुप्तता से यह मसौदा तैयार हुआ है और बहुत जल्दबाजी में इसे अंतिम रूप दिया गया है।

(५) इस नीति का उद्देश्य उन्हें मुख्य प्रवाह में लाने और उनका

समायोजन करना है जो आदिवासियों के अधिकारों के भंग के समान है। यह आदिवासियों की विविधता तथा आदिवासियों की अन्य लोगों व संस्कृतियों से भिन्नता के प्रति आदर का पूर्ण अभाव दर्शाता है।

(६) नीति के मसौदे की भाषा में अस्वीकार्य, आक्षेपात्मक व अपमानजनक व्याख्याओं एवं वर्णनों का उपयोग हुआ है।

(७) अनुसूची-५ व अनुसूची-६ जैसी वर्तमान सुरक्षात्मक व्यवस्था और कानूनों के अमल पर अपर्याप्त बल दिया जाता है।

(८) पूर्वजों की जमीनों, प्रदेशों व प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों को लेकर सतत एवं स्पष्ट मान्यता का अभाव है। अनिवार्यत: होने वाले पुनर्स्थानीकरण के विरुद्ध अपर्याप्त संरक्षण है और पुनर्वास की अपर्याप्त व्यवस्था है।

(९) आदिवासियों की परंपरागत शासन व्यवस्थाओं, कानूनों व व्यवहारों को मान्यता, संरक्षण या प्रोत्साहन नहीं दिया गया तथा स्वतंत्र व अग्रिम जानकारीपरक सम्मति की व्यवस्था का अभाव विद्यमान है।

(१०) स्व-पहिचान और पहिचान के आदिवासियों के अधिकारों की अस्वीकार्य अनुपस्थिति है और उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्विकरण के विपरीत प्रभाव से रक्षा पाने तथा स्व-निर्णीत अधिकारों के विकास के अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई।

(११) विकास का वर्तमान मॉडल आदिवासियों के अधिकारों की अस्वीकार्य अनुपस्थिति है और उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्विकरण के विपरीत प्रभाव से रक्षा पाने तथा स्व-निर्णीत अधिकारों के विकास के अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई।

(११) विकास का वर्तमान मॉडल आदिवासियों के जीवन निर्वाह व सुख-सुविधा पर विपरीत असर डालता है और उसको इस मसौदे में स्वीकार नहीं किया गया।

(१२) नीतिगत मसौदे में समन्वित विकास का अभिगम नहीं और वह विकास के आर्थिक पहलू को निरंतर नकारता है।

(१३) आदिवासियों के ज्ञान व परंपरागत ज्ञान धारकों को अपर्याप्त संरक्षण है तथा भाषाओं, इतिहास, तकनीकी आदि समेत शैक्षिक व्यवस्था हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई अथवा संस्कृति, विश्व दृष्टि व मूल्यों आदि के बारे में समाज के अन्य प्रभावशाली वर्गों को जानकारी देने की इसमें कोई व्यवस्था नहीं।

(१४) आदिवासियों के धर्मों व आध्यात्मिक व्यवहारों अथवा पवित्र स्थानों या आध्यात्मिक संस्थाओं व उनका पालन करने वालों के संरक्षण व सम्मान के विषय में कोई उल्लेख नहीं हैं।

(१५) सामान्य शिक्षण व स्वास्थ्य की सहायक सेवाओं की समान प्राप्ति हेतु अपर्याप्त व्यवस्था है।

(१६) आदिवासियों के स्वास्थ्य व देखभाल की व्यवस्था संबंधी अभिगमों को मान्यता या संरक्षण नहीं दिया गया।

(१७) फिर, नीतिगत मसौदे में स्त्री-पुरुष भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं अथवा महिलाओं के अधिकारों के सवाल के बारे में कोई निर्धारित भाव नहीं, बाल अधिकारों के प्रति राज्य की अनिवार्यता नहीं स्वीकार की गई, और बदलते सामाजिक वातावरण के नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्राप्ति समेत व्यवस्थाएं युवकों हेतु नहीं हैं।

(१८) आदिवासियों की जमीनों के बढ़ते जाते सैन्यीकरण की समस्याओं का भी कोई उल्लेख नहीं है।

(१९) आदिवासियों की कार्यनीतियों, परंपरागत कानूनों तथा समझाने की व्यवस्था का उपयोग करके संघर्ष निवारण तथा शांति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षित व बढ़ती हुई ज्वलंत जरूरतों का भी कोई उल्लेख नीति में नहीं है।

मध्याह्न भोजन योजना

अपने अस्तित्व को बलपूर्वक प्रस्थापित करने के लिए ही नहीं, वरन् स्थानीय स्तर पर सुशासन स्थापित करने के लिए भी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को बुनियादी सेवाओं पर देखरेख की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जरूरत है। चार वर्षों पूर्व मध्याह्न भोजन योजना के सार्वत्रिक क्रियान्वयन के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से यह योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुनियादी सेवाओं में से एक बन गई है। यह योजना विद्यालय जाने वाले बालकों के पोषण की जरूरत पूरी करती है ताकि उससे विद्यालयों में प्रवेशार्थी बालकों की संख्या बढ़े, शाला में बालकों की नियमित उपस्थिति बढे, रिसेस के बाद भी बालक शाला में हाजिर रहें और अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ने की संभावनाएं बनें, साथ ही बालकों की भूख तो मिटे ही। इस योजना के क्रियान्वयन के नौ वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब ग्राम पंचायतों जैसी स्थानीय स्तर वाली स्वशासी संस्थाएं इस योजना पर देखरेख रखने के लिए सम्मिलित हों, यह जरूरी है। इस आलेख में **श्री शादाब जहीर** और **सुश्री स्वाति सिन्हा**, उन्नति द्वारा मध्याह्न भोजन योजना हेतु देखरेख के कुछ निर्देशक प्रस्तुत किये गए हैं जिनका स्थानीय स्वराज की संस्थाएं आसानी से क्रियान्वयन कर सकती हैं।

मध्याह्न भोजन योजना

भारत सरकार ने १९९५ में 'प्राथमिक शिक्षा में पोषण के सहयोग वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम' के भाग स्वरूप मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसके अधीन समस्त सरकारी व सरकार द्वारा अनुदानित प्राथमिक शालाओं में समस्त बालकों को पकाया हुआ भोजन दोपहर में दिया जाता है।

इन बालकों को भोजन देने की व्यवस्था की जाएगी, वहां प्रतिमाह वांछित अनाज उपलब्ध करनो की व्यवस्था भी की गई है। परंतु अनेक राज्यों ने दो वर्षों के निर्धारित समय में अनाज दिये जाने के बदले पकाया हुआ भोजन देने की व्यवस्था नहीं की है।

राजस्थान में मध्याह्न भोजन योजना

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के द्वारा राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय कदम उठाये हैं। उसने शिक्षाकर्मी विद्यालयों और राजीव गांधी पाठशालाओं में भी मध्याह्न भोजन योजना शुरू कर दी। राजस्थान में सरकार ने ग्राम पंचायतों को वांछित गेंहू और एक कि.ग्रा. गेंहू ५ रु., तेल, गुड़, बर्तन, परोसने की व्यवस्था और रसोइए का वेतन देने की व्यवस्था भी की। इस प्रकार आरंभ में १६ जिलों में यह योजना शुरू की गई और दूसरे चरण में शेष १६ जिलों में शुरू की गई है।

व्यवस्थाएं

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) - सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम) है, पर इसका कुछ खर्च राज्य सरकार को भी उठाना होता हौ। अनाज का खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि राज्य सरकार साग-भाजी, मसाले, तेल, नमक इत्यादि सामग्री और रसोइये तथा सहायकों के तथा पूरक पोषक तत्त्वों आदि का खर्च उठाती है। परिवहन के खर्च पेटे केंद्र सरकार एक क्विंटल अनाज के पेटे ५० रु. का हिस्सा देती है। यह खर्च पर्याप्त नहीं है अतः बाकी का खर्च राज्य सरकार, पंचायत और शाला वहन करती हैं।

योजना के लक्षण

समस्त सरकारी व सरकार द्वारा अनुदानित शालाओं में सभी कार्य-दिवसों में समस्त बालकों के लिए दोपहर को पकाया हुआ भोजन दिया जाना है। राजस्थान में चार तरह के व्यंजन-समूह तय किये गए हैं। गुड़ और गेहूं तथा मूंगफली तेल और वनस्पति तेल में व्यंजन होने अनिवार्य हैं। भोजन रांधकर या सेक कर तैयार करना होता है।

- वर्ष में कम से कम २०० दिनों हेतु बालकों को भोजन देना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

दिनांक २८.११.२००२ को सर्वोच्च न्यायलय ने एक युगांतरकारी निर्णय दिया। उसने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मध्याह्न भोजन योजना का यथाशीघ्र क्रियान्वयन करने का आदेश दिया और 'भारतीय खाद्य निगम' (एफ.सी.आई. - फूड कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया) को उसके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अनाज की गुणवत्ता पर ध्यान देने हेतु भी आदेश दिया। कई राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इसके बाद भी इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर रहे थे, अतः सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक २०.४.२००४ को दूसरी बार आदेश दिया कि १.९.०४ तक इस योजना का क्रियान्वयन किया जाए। उसने राज्यों को ऐसा आदेश भी दिया कि बालकों को यह सेवा बिना मूल्य प्रदान की जाए तथा दलितों व आदिवासियों को रसोइये व सहायक की नियुक्ति में प्रमुखता दी जाए। उसने पेयजल जैसी सुविधाओं व अन्य ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने, नियमित जांच व अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी बल दिया।

- इस भोजन से बालक को कम से कम ३०० केलोरी और ८ से १२ ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं की प्राप्ति हेतु एक समिति का गठन किया गया था। उसमें जिला कलैक्टर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि, सी.एम.एच.ओ, के प्रतिनिधि तथा कृषि विभाग के विशेषज्ञ या वरिष्ठ अधिकारी का समावेश है। रांधा हुआ भोजन प्रदान करने की जिम्मेदारी स्थानीय ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना है। उसमें सरपंच/तहसील पंचायत के सदस्य, सरपंच द्वारा नियुक्त एक वार्ड महिला सदस्या, शाला के मुखिया, बालकों के माता-पिता के दो प्रतिनिधि तथा ग्राम-सेवक का समावेश होता है। राजस्थान आरंभ से ही उच्च स्तरीय देखरेख समिति का गठन किया है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन का इस समिति के कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति में ही वितरण होना चाहिए। प्रतिमाह सात तारीख को मध्याह्न भोजन योजना का मासिक विवरण अर्थात् गत माह का प्रतिवेदन जिला पंचायत को सौंप देना चाहिए।

मध्याह्न भोजन योजना में विधायक पहलू

सर्वोच्च अदालत के निर्णय के बाद राज्य में मध्याह्न भोजन योजना की सम्पूर्ण क्रियान्विति यथा समय हुई है। राज्य में आरंभ से ही इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति थी अतः एकदम प्रगतिशील कदम उठाये गए। अधिकांश शालाओं में समय पर अनाज पहुंचाया गया। 'भारतीय खाद्य निगम' से अन्न प्राप्त करने में ध्यान रखा गया, जिससे अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम गुणवत्ता वाला अनाज शालाओं को प्रदान किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार भोजन पकाने व परोसने के मामले में इतनी संवेदनशील रही कि पूर्ण स्वच्छता बरती गई। 'अमुक दिन कोई बालक भोजन करना न चाहता हो तो इसका ध्यान रखा गया,' ऐसे आदेश दिये गए। एफ.पी.ओ. द्वारा प्रमाणित घटकों की ही सिफारिश की गई। ये बातें जाहिर करती है कि राज्य इस योजना पर बहुत ध्यान देता है।

मध्याह्न भोजन योजना के नकारात्मक पहलू

- बालकों को प्रतिदिन जो भोजन दिया जाता है, उसमें कोई वैविध्य नहीं। मुख्यतया आर्थिक कारणों से ही यह विविधता नहीं रखी जा पाती। रोजाना घूघरी दी जाती है जिससे बालकों की रुचि कम हो जाती है।

- जलाने की लकड़ी के लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था नहीं है। अन्य ईंधन प्राप्य नहीं, अथवा पोसाता नहीं है।

- राशन हेतु प्रति कि.ग्रा. ५ रु. अथवा प्रति बालक जो ५० पैसे आवंटित किये गए हैं वे रांधने की अन्य वस्तुओं, ईंधन, वितरण आदि के खर्च तथा रसोइये के वेतन चुकाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

- राज्य सरकार ने अपने विविध आदेशों में वितरण की स्थानीय व्यवस्था बनाने हेतु प्रबंध किया है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है।

- भोजन करने के लिए बालक अपने घर से बरतन लायें, यह विचार माता-पिता पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें बरतन खो जाने का डर रहता है।

मध्याह्न भोजन योजना की प्रक्रिया पर देखरेख का ढांचा

भोजन सामग्री की प्राप्ति

किनकी देखरेख?	समूहात्मक बातें	किस तरह?	गुणात्मक पहलू	किस तरह?	कब?
गेहूं	वजन जांचना या इतने ही वजन के पीपे में रखना	जांच करना	जंतुमुक्त हो, कणक बांधने के बाद घंटे भर में काली न पड़े	अवलोकन	प्राप्ति समय व नियमित समय पर जांच
गुड़	वजन जांचना	जांच करना	वह सख्त हो, बदबू न मारता हो	अवलोकन	समय-समय पर जांच
मूंगफली का तेल	निर्धारित समूह	जांच करना	ब्रांडवाला व सीलवाला	अवलोकन व जांच	समय-समय पर जांच
वनस्पति का तेल	निर्धारित समूह	जांच करना	ब्रांडवाला व सीलवाला	अवलोकन व जांच	समय-समय पर जांच
जल	-	-	संग्रह हेतु बर्तन साफ हो और ढक्कन वाले हों	अवलोकन	समय समय पर जांच
जलाने की लकड़ी	समूह	जांच करना	-	-	-
बरतन	पर्याप्त बरतन	जांच करना	-	-	समय-समय पर जांच

भोजन सामग्री व अन्य साधनों का संग्रह

किनकी देखरेख?	समूहात्मक बातें	किस तरह?	गुणात्मक पहलू	किस तरह?	कब?
स्टोर रूम	सामग्री रखना	अवलोकन	स्वछता, हवा उजाला	अवलोकन	समय-समय पर जांच
भोजन सामग्री संग्रहीत करने के डिब्बे	पर्याप्त मात्रा में	अवलोकन	स्वच्छता, हवा-मुक्त	अवलोकन	समय-समय पर जांच
पानी का घड़ा	पर्याप्त	अवलोकन	स्वच्छ, ढक्कन सहित	अवलोकन	समय-समय पर जांच
स्टॉक रजिस्टर	स्टॉक रजिस्टर का अस्तित्व	जांचना	निश्चित खानों में उसे भरना	नियमित	विशेष जांच

भोजन पकाना

किनकी देखरेख?	समूहात्मक बातें	किस तरह?	गुणात्मक पहलू	किस तरह?	कब?
रसोइये व सहायक का प्रबंध	कम से कम दो जनों को रखें (राजस्थान में सिर्फ एक ही व्यक्ति की व्यवस्था है)	नियमित रूप से निरीक्षण	सफाई, स्वच्छ कपड़े का उपयोग	नियमित निरीक्षण	विशेष जांच
रसोई घर	स्थान बड़ा हो	अवलोकन	स्वच्छ, हवा, उजाला	नियमित निरीक्षण	समय-समय पर जांच
	पकाने हेतु साधन/ चूल्हा	जांच एवं अवलोकन	आग से सुरक्षा की की व्यवस्था	अवलोकन व जांच	समय-समय पर जांच
बरतन	पर्याप्त संख्या में	अवलोकन	स्वच्छता, ढक्कन वाले	नियमित निरीक्षण	समय-समय पर पर जांच
पकाया हुआ भोजन	सबके लिए पर्याप्त मात्रा में	नियमित निरीक्षण	स्वच्छ व ढक्कन वाले बर्तनों में रखना अच्छा पकाया हुआ ताजा	नियमित निरीक्षण अवलोकन	समय-समय पर जांच

भोजन परोसना

किनकी देखरेख?	समूहात्मक बातें	किस तरह?	गुणात्मक पहलू	किस तरह?	कब?
परोसने के बर्तन	पर्याप्त मात्रा में हों जैसे बड़ा कमंडल व बड़ा चम्मच	बर्तनों का उपयोग करना	बर्तन स्वच्छ हों	नियमित निरीक्षण व अवलोकन	समय-समय पर जांच
भोजन परोसना	पर्याप्त मात्रा में (सरकार के नियमानुसार बिना भेदभाव सबको बराबर मात्रा में परोसना	जांचना जरूर जैसे प्रत्येक बालक को तीन चम्मच भोजना देना	परोसने वाले का व्यवहार नम्र, किसी पर क्रोध न करना	नियमित निरीक्षण व बालकों की प्रतिक्रिया	समय-समय पर जांच

भोजन

किनकी देखरेख ?	समूहात्मक बातें	किस तरह ?	गुणात्मक पहलू	किस तरह ?	कब ?
स्वाद	-	-	भोजन खाने योग्य हो	खाकर जांचना व बालकों की प्रतिक्रिया	समय-समय पर जांचना
ताजा	-	-	एक घंटे पूर्व ही पकाया हुआ हो	-	समय-समय पर जांचना
खाने का स्थान	बैठने की पर्याप्त जगह की व्यवस्था	बालक व बालिका बिना भेदभाव के के साथ साथ बैठें	स्वच्छता	अवलोकन	समय-समय पर मुलाकात
पानी	पानी मिले	जांचना	स्वच्छता	अवलोकन	समय-समय पर मुलाकात

विश्व विकास प्रतिवेदन - २००४

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'विश्व विकास प्रतिवेदन - २००४' में ऐसा कहा गया है कि गरीबों को चार प्रकार की सेवाएं नहीं मिलती हैं :

(१) सरकार अपने बजट में काफी बड़ी राशि मूलभूत सेवाओं के लिए खर्च करती है फिर भी उनका अधिकांश लाभ साधन संपन्न वर्ग ही उठाते हैं।

(२) जब सार्वजनिक व्यय का पुनः आवंटन किया जाता है तब उसका लाभ प्रायः लाभार्थी तक या मुख्य आपूर्तिकर्ता तक नहीं पहुँचता है।

(३) गरीबों के लिए सेवाओं का भाग बढ़ाने पर भी गुणवत्ता व समूह के बारे में सेवा प्रदान करने वाले पूरी सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते।

(४) खराब सेवाओं के कारण और कम पहुँच होने के कारण कई बार मांग भी कम होती है। सांस्कृतिक परिबल व गरीबों व आपूर्तिकर्ताओं के बीच सामाजिक अंतर भी उसमें अपनी भूमिका निभाता है।

- रसोइयों का वेतन बहुत कम रहता है, जबकि उन्हें काम बहुत करना होता है : ईंधन इकट्ठा करना, पकाना, वितरण करना और बरतन धोना।

- रसोई बनाने हेतु उचित शेड नहीं होता। अतः जहाँ बालकों को पढ़ाया जाता है, वहीं पकाया जाता है, इससे पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है।

- बरतन न हों अथवा कम हों तो बालकों को अपनी अभ्यास-पोथी के कागजों का ही भोजन हेतु उपयोग करना पड़ता है।

योजना की वर्तमान स्थिति

- ज्यादातर स्थानों पर घूघरी ही परोसी जाती है।
- रांधने के बर्तन अच्छी तरह साफ नहीं होते।
- परोसने के बर्तन भी बराबर साफ नहीं होते।
- ईंधन की प्राप्ति कम होती है अथवा ईंधन पोसाता नहीं।
- रसोइये व सहायक मजदूर मिलते नहीं।
- देखरेख व निरीक्षण

- साधन-सामग्री में विलंब
- भ्रष्टाचार व चोरी। सिर्फ अनाज देने की अपेक्षा इस योजना में ऐसी आशंका कम रहने के बावजूद भी ऐसी समस्या तो रहती ही है।

मध्याह्न भोजन योजना की सफलता के कतिपय निर्देशक

राजस्थान में उपर्युक्त ढंग की प्रवर्तनमान दशा यह दर्शाती है कि सेवाओं में सुधार करने के लिए व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। वैसे सफलता हेतु कुछ मापदंड नीचे दिये जा रहे हैं :

१. शाला प्रवेश में वृद्धि

- मध्याह्न भोजन योजना शुरू होने के बाद राजस्थान में और देश भर में शाला जाने वाले बालकों के प्रवेश में वृद्धि हुई है।
- शाला प्रवेश की बालकों की संख्या की बजाय बालिकाओं की संख्या में ज्यादा वृद्धि हुई है। राजस्थान में शाला प्रवेश की संख्या में ८ प्रतिशत वृद्धि हुई है, परंतु बालिकाओं की शाला प्रवेश की संख्या में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- शालाओं में बालकों की उपस्थिति में वृद्धि।
- आधे दिन के लिए उपस्थित न रहने वाले अथवा भोजन के बाद हाजिर न रहने वाले बालकों की संख्या में कमी आई है।

२. अध्ययन की गुणात्मक में सुधार

भारत में और राजस्थान में भुखमरी एक सामान्य बात है। राजस्थान में जलवायु की स्थिति बहुत ही कठिन होती है और अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसा स्थिति में मध्याह्न भोजन योजना के कारण बालकों की शाला में रुचि बढ़ी है। पढ़ने में उनका ध्यान बढ़ा है। भोजन के लिए घर जाने और लंबा रास्ता नापने की जरूरत अब नहीं रही, अतः उन्हें थकान नहीं आती।

३. बिरादरी और जातिगत भेदभावों का निवारण

भारत में जातिगत भेदभाव बहुता ज्यादा है और स्त्री-पुरुषों की निश्चित भूमिकाएं हैं। अब इस योजना को इस भेदभाव को दूर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मध्याह्न भोजन सब बालक साथ में करते हैं और जाति के आधार पर इसमें से किसी को निकाला नहीं जाता। बालक और बालिकायें भी एक समान भूमिकाएं अदा करते हैं और घर का प्रवर्तमान वातावरण बदल जाता है। इस प्रकार, बालक अपने प्रारंभिक जीवन में ही सामाजिक पूर्वाग्रहों से बाहर आ जाते हैं।

४. बालकों का अधिक अच्छा पोषण

भारत में और राजस्थान जैसे राज्य में तो विशेष ५२ प्रतिशत बालक कुपोषण से पीड़ित हैं। अनेक इलाकों में भुखमरी सामान्य घटना है। मध्याह्न भोजन योजना ऐसे बालकों को अनिवार्य पोषण प्रदान करती है। वास्तव में, अनेक बालकों को अनिवार्य पोषण प्रदान करती है। वास्तव में, अनेक बालकों के लिए तो इस योजना के अधीन मिलने वाला भोजन ही एकमात्र भोजन होता है। वैसे, कई राज्यों ने बालकों में पोषण स्तर सुधारने के इस अवसर को गति प्रदान की है। वे समय-समय पर बालकों को इस योजना के तहत और ज्यादा पोषक तत्त्व प्रदान करते हैं। विगत २० वर्षों से तमिलनाडु इस मामले में एक अग्रणी राज्य रहा है। और वह अत्यंत गुणवत्ता वाला मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहा है।

५. देखरेख

मध्याह्न भोजन योजना की प्रक्रिया पर प्रभावी देखरेख को इस योजना की सेवा संबंधी गुणवत्ता सुधारने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ग्राम पंचायत रोजमर्रा की देखरेख हेतु उत्तरदायी हो सकती है। आरंभ में एक सप्ताह में एक बार वह यह काम कर सकती है। पंचायत के सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिए और इसके प्रत्येक सदस्य को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। देखरेख हेतु निर्देशक विकसित किये जा सकते हैं, उसके लिए एक सरल तंत्र बनाया जा सकता है और उसका उपयोग देखरेख हेतु मार्गदर्शिका की तरह किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की देखरेख हेतु सुझावात्मक निर्देशक

देखरेख संबंधी प्रक्रिया भोजन की वस्तुओं की प्राप्ति से शुरू करके भोजन बालकों को परोसा जाए, तब तक की होती है। प्रत्येक प्रक्रिया में परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों पहलू होते हैं। इन दोनों की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरणार्थ, प्राप्ति के समय सरकार के स्तरों के अनुसार वस्तुएं हैं या नहीं, इसकी जांच करना

शेष पृष्ठ 18 पर

शहर की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में दल-बदल विरोधी कानून

दल-बदल विरोधी कानून राज्यों की विधान सभाओं और संसद पर लागू होता है। उससे संबंधित मूल कानून में हाल ही में संशोधन किया गया था। उसी तरह की कानूनी व्यवस्थाएं शहरी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए हैं। इस बारे में देश में जो कुछ गतिविधि चल रही है उसकी एक झलक देने वाला यह लेख **सुश्री एलिस मोरिस** उन्नति द्वारा लिखा गया है।

प्रस्तावना

७४वें संविधान संशोधन ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण संबंधी नियम लागू करके स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को सक्षम बनाने हेतु अवसर प्रदान किया है। शहरी शासन तथा विकास के क्षेत्र में परिवर्तन लाने हेतु उसने एक जबरदस्त अवसर दिया है। कार्य एवं आर्थिक अधिकार स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को सौंपे जाएं, इसका अवसर भी उसने प्रदान किया है। ७४वें संविधान संशोधन ने पालिकाओं को सक्षम बनाया है क्योंकि अब हर पांचवें वर्ष चुनाव हो यह जरूरी हो गया है।

पालिकाओं में प्रभावी शासन व्यवस्था खड़ी करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पालिकाओं की चुनी हुई संस्था स्थिर हो। यद्यपि, अनेक पालिकाओं में नगर सेवकों के दल-बदल ने ऐसी स्थिर शासन व्यवस्था खड़ी करने के सामने अवरोध खड़े किये हैं।

पालिकाओं की शासन व्यवस्था संबंधी अनेक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि अनेक पालिकाओं में नगर सेवकों के दल-बदल के कारण अध्यक्ष बदल जाते हैं। अलग-अलग समूह व दल आमने सामने जो आक्षेप लगाते हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि दल-बदल में धन की थैलियों के मुंह खुलते हैं और दूसरी कई गैर कानूनी रीत-रस्में अपनाई जाती हैं। दल-बदल के विरुद्ध जब तक दंडात्मक कार्यवाही की कानूनी व्यवस्था नहीं होगी तब तक पालिकाओं में ऐसे दल-बदल को रोका जाना मुश्किल है।

दल-बदल की अनैतिक रीति को रोकने के लिए भारत के संविधान में ५२वां संशोधन किया गया और संविधान की १०वीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून शामिल किये गए। यद्यपि उनका क्रियान्वयन संसद व राज्यों की विधानसभाओं के लिए ही होता है।

१९९९ में सर्व प्रथम केरल राज्य ने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए दल-बदल विरोधी कानून बनाया। उसका नाम है : केरल स्थानीय स्वशासन (दल-बदल विरोधी) कानून १९९९। उसमें राज्य के चुनाव आयुक्त को यह कानून भंग करने वाले किसी भी नगर सेवक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य नगर सेवकों के पक्ष परिवर्तन के कारण पालिकाओं पर दबाव खड़ा करना है।

केरल सरकार ने जो कानून बनाया है वह अन्य राज्य सरकारों के लिए उत्तम उदाहरण पेश करने वाला है। अन्य राज्य भी स्थानीय स्वशासन के संबंध में अपने कानून में दल-बदल विरोधी व्यवस्थाएं दाखिल कर सकते हैं।

केरल के कानून की व्यवस्थाएँ

केरल स्थानीय स्वशासन संस्था (दल-बदल विरोधी) धारा-१९९९ की कुछेक मुख्य व्यवस्थाएं निम्नानुसार हैं :

- स्थानीय स्वशासन से अनैतिक राजनीति को दूर हटाने के उत्तम इरादे से यह कानून बनाया गया है। यह पार्षदों के दल बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के अनुसार यदि कोइ उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल या संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव जाता है तो वह, यदि दल के या संयुक्त दलों के आदेश (व्हिप) को मतदान के दौरान नहीं माने, अथवा वह उनमें से त्यागपत्र दे दे तो वह

सदस्यता से अयोग्य हो जाता है। यदि नगर सेवक एक दल से या संयुक्त दलों से दूसरे दल या संयुक्त दलों में जाता है तब भी अयोग्य सिद्ध होता है। पालिका की सभी बैठकों में नगर सेवक कैसा बर्ताव करे, इस बारे में दल के या संयुक्त दलों के आदेश का पालन करना नगर सेवक के लिए अनिवार्य है।

- यद्यपि यह कानून निर्दलीय नगर सेवक को किसी भी दल या संयुक्त दलों में शामिल होने की छूट देता है, पर फिर बदलने वह उसे छोड़ नहीं सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है।

- यह कानून राज्य के चुनाव आयोग को दल-बदलने के मामले में निर्णय लेने के अधिकार देता है। राज्य का चुनाव आयुक्त इस बारे में जो निर्णय करेगा, वही अंतिम होगा। हालांकि, कोई जांच किये बिना या नगरसेवक को स्वयं स्पष्टीकरण का मौका दिये बिना वह कोई निर्णय नहीं ले सकेगा।

- राज्य के चुनाव आयोग को दल-बदल विरोधी कानून की व्यवस्थाओं के आधार पर दीवानी अदालत का अधिकार है। चुनाव आयोग जो भी कदम उठायेगा, वे भारतीय दंड संहिता - १८६० के नियम - १९३ और नियम - २२८ के अनुसार मान्य होगा। दूसरी किसी अदालत को नगर सेवक को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है।

- इस कानून में ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि जो नगर सेवक अयोग्य घोषित होगा वह राज्य के चुनाव आयोग के तत्संबंधी आदेश की तिथि से छह वर्ष तक किसी भी स्थानीय स्वशासी संस्था के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकता। साथ ही, वह ऐसे आदेश के बाद शेष अवधि के लिए भी नगर सेवक के पद पर नहीं रह सकता।

- नगरपालिका के अधिकारी को राज्य के चुनाव आयोग द्वारा एक रजिस्टर सहेजने का दायित्व सौंपा जाता है। वह इस रजिस्टर में राजनीतिक दल, निर्दलीय या संयुक्त दल संबंधी सूचनाएं दर्ज करता है।

उपसंहार

दल-बदल विरोधी कानून में ऐसा विश्वास मिला होना चाहिए कि उम्मीदावर एक बार चुने जाने के बाद दल-परिवर्तन न करे वरन् विकास की समस्याओं पर ध्यान दे। राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस प्रकार का कानून बनाये। शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में शासन को सुधारने हेतु नीति-निर्धारकों को ऐसे कानून बनाने के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। पालिका में चुने हुए सदस्यों और विविध राजनीतिक नेताओं की बनी पालिका में से ही यह दबाव खड़ा हो तो दल परिवर्तन विरोधी कानून बनाने की प्रक्रिया द्रुत होगी। यहां गैर-सरकारी संगठनों और शोध-संस्थाओं की भूमिका पालिका के समस्त हितैषियों को तथा राज्य सरकार को इस सम्बंध में संवेदनशील बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। ऐसे कानून का अमल होगा, तो पालिकाओं में जो मनमाने दल परिवर्तन होते हैं वे रुक जाएंगे। शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्था अगर स्थिर होगी तो वह विकास की समस्याओं पर ध्यान देगी और दल-परिवर्तन संबंधी बातों को ध्यान में नहीं लायेगी।

पृष्ठ 16 का शेष भाग

जरूरी होती है। वनस्पति तेल, गेहूं, पानी, ईंधन की लकड़ी आदि की गुणवत्ता भी देखनी जरूरी होती हैं। स्वच्छ व शेड वाले स्टोर रूम, टाइट ढक्कन वाले पानी व अनाज के पीपे, स्टॉक रजिस्टर आदि बातें भी संग्रह की प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। पकाने व परोसने के मामले में अनेक पहलू महत्वपूर्ण हैं। यथा - रसोइये के पास मजदूर हो, रसोईघर स्वच्छ हो - हवादार, प्रकाशदार सुरक्षा की व्यवस्था हो और खाना पकाने के बर्तन स्वच्छ हों। इसके अलावा, रसोइया वांछित माप में जरूरी सामग्री काम में ले, यह देखना भी जरूरी है। बर्तन स्वच्छ हों, परोसने वाले का व्यवहार विनम्र हो, पर्याप्त मात्रा में भोजन परोसा जाए और स्त्री-पुरुष, धर्म या जातिगत आधार पर भेदभाव न किया जाए। भोजन का स्वाद, स्वास्थ्य की व सफाई की देखभाल रखी जाए, पानी की व्यवस्था हो और बालकों के बैठने की भी व्यवस्था हो।

एकाकी नारियों की मुसीबतों में वृद्धि

गुजरात में एकाकी नारियों को सहायता देने वाली एक योजना चलती है। कुछ समय पहले गुजरात सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्तुत लेख में कच्छ के 'एकाकी नारी शक्ति मंच' की **सुश्री सुशीला प्रजापति**, एक्शन एड ने इस प्रस्ताव का विवरण देते हुए यह समझाया है कि इससे एकाकी महिलाओं की मुसीबतें कैसे बढ़ती हैं और साथ ही साथ लेखिका ने इस योजना को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझाव भी दिये हैं।

संदर्भ

हाल ही में गुजरात सरकार ने एकाकी महिलाओं के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है और वह सर्वाधिक असहाय एकाकी महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता पर विपरीत रूप से असर डालता है। इस प्रस्ताव को पारित किये जाने से पहले १८ से ६० की आयु वाली विधवा, परित्यकता या असहाय महिला को प्रति माह ५०० रु. की सहायता मिलती थी। इसके अलावा, प्रति बालक ८० रु. की (दो बालकों की सीमा तक) सहायता मिलती थी। यह सहायता सबसे बड़े बालक के २१ वर्ष का होने तक मिलती थी। गरीब महीलाओं के लिए ५०० रु. की सहायता एक बहुत बड़ा सहारा थी, क्योंकि बालकों की सभी तरह की जिम्मेदारियां उन्हें ही वहन करनी पड़ती थीं।

गुजरात सरकार ने दिनांक १-८-२००३ से अमल में आने वाले प्रस्ताव संख्या एन.वी.नं. १०२००३-९६ पारित कर दिया और इन महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता बंद कर दी। संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार इस तरह की असहाय व गरीब एकाकी महिलाओं की मदद करना राज्य की जिम्मेदारी है और समाज में पिछड़ी रह जाने वाली इन महिलाओं को ऐसी मदद प्राप्त करने का अधिकार है।

नए प्रस्ताव में इस प्रकार लिखा गया है :

(१) मात्र ४० से ६० वर्ष की विधवा स्त्री को ही यह सहायता मिलेगी बशर्ते उसका कोई पुत्र २१ वर्ष से बड़ी उम्र का न हो।

(२) १८ से ४० वर्ष की मात्र विधवा स्त्री को ही आमदनी कमाने हेतु कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और जीवन निर्वाह हेतु ३००० रु. की मर्यादा में साधनों की सहायता दी जाएगी।

(३) दिनांक १.८.२००३ तक ४० वर्ष की विधवा एकाकी स्त्री को ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पति की मृत्यु तिथि से छह माह की अवधि में प्रार्थना-पत्र देना होगा। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में आने से दो वर्ष की अवधि तक अर्थात् २००५ तक यदि प्रशिक्षण पूरा नहीं किया जाता तो वे महिलाएं इस सहायता की पात्रता गंवा देंगी। १८ से ४० वर्ष की उम्र वाली मात्र विधवा स्त्री को १.८.२००३ से मात्र दो वर्ष तक की समयावधि हेतु वित्तीय मदद मिलेगी। इस आयु वर्ग के लिए फिर से आर्थिक मदद चालू नहीं की जाएगी।

(४) प्रति वर्ष जुलाई माह में लाभार्थी महिला को तहसीलदार या तहसील विकास अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करना होगा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(५) लाभार्थी विधवा को पांच पौधों की परवरिश करनी होगी और इसका प्रमाण-पत्र पटवारी देगा।

यदि उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो सहायता रद्द कर दी जाएगी।

प्रस्ताव के निहितार्थ

तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहिता गरीब स्त्रियों के लिए कुछ भी नहीं।

एकाकी महिलाओं में परित्यक्ता, तलाकशुदा स्त्रियों और आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त तथा विकलांगता के कारण विवाह न कर सकने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत बड़ी है। यह प्रस्ताव इन स्त्रियों को योजना की लाभार्थी नहीं बनाता अथवा जो विधवा स्त्रियों के

जितनी ही या उनसे भी ज्यादा असहाय हैं उन स्त्रियों का उल्लेख इस प्रस्ताव में कहीं भी नहीं किया गया।

१८ से ४० आयु वर्ग का एकाकी स्त्रियों को सहायता नहीं दी जाएगी।

इस प्रस्ताव में सबसे ज्यादा जरूरतमंद और सबसे ज्यादा असहाय स्त्रियों की उपेक्षा की गई है कि जो १८ से ४० के वय की हैं और जिन्होंने वैवाहिक जीवन में अधबीच में अपने पति गंवा दिये हैं। उन्हें छह माह में फिर से अपना पंजीकरण कराना होगा और एक वर्ष में प्रशिक्षण का अभ्यासक्रम पूरा करना होगा। जिन स्त्रियों ने हाल ही में अपने पति गंवाये हों, आघात फेला हो और जिन्हें घर में बैठना जरूरी हों, उनके लिए यह कैसे संभव है? विधवा स्त्रियों को घर में ही रहने का समय अलग-अलग समुदायों में अलग अलग होता है। दरबारों में ९ माह, तो अहीरों, पटेलों व दलितों में तीन माह। मुस्लिमों मे भी इद्दत का रिवाज़ है, जिसमें महिला तीन मासिक धर्म तक घर में ही रहती है। इस समयावधि के बाद भी आघात और दु:ख से बाहर आने में स्त्रियों को बहुत समय लग जाता है और वह परिवार की जिम्मेदारी को गति से वहन करने में सशक्त नहीं बन पाती। ऐसी परिस्थिति में स्त्री अपना पंजीकरण कराये और एक वर्ष के प्रशिक्षण का अभ्यासक्रम पूरा करे, यह कैसे संभव है?

दूसरा एक बड़ा परिबल यह है कि भारत में परिवार का भरण-पोषण करने वाला पति होता है। ऐसी सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिति में स्त्री घरेलू कामकाज करती है और बालकों का भरण-पोषण पूरी तरह से पति पर निर्भर रहता है। अत: पति की मृत्यु से नारी ज्यादा असहाय बन जाती है। इस समय वह सबसे ज्यादा असहाय होती है और उसे आर्थिक व सामाजिक सहारे की जरूरत पड़ती है।

प्रस्ताव सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकता को ध्यान में नहीं लेता

कौशलों का प्रशिक्षण देकर तथा जीवन निर्वाह हेतु साधन-सामग्री का सहारा देकर एकाकी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का विचार बहुत आकर्षक है। परंतु स्वैच्छिक संस्थाओं का अनुभव यह दर्शाता है कि कौशलों का प्रशिक्षण देने और जीवन निर्वाह हेतु साधन सामग्री की सहायता देने के बावजूद सफलता की मात्रा बहुत कम रहती है। क्षेत्रीय जरूरत और बाजार के अध्ययन के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। छोटे काम और गृह उद्योग लगभग मर गए हैं, ऐसी दशा में महिलाएं स्वयं इस तरह जीवन-यापन करें और गौरव की जिंदगी जीयें, ऐसी अपेक्षा रखना उचित नहीं। बालकों को मदद देने और पालन-पोषण करने हेतु स्त्रियों को मजदूरी करने जाना पड़ता है तब प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपेक्षा रखना ज्यादती ही होगी।

४० से ६० आयु वर्ग की एकाकी महिलाओं की उपेक्षा

जो महिलाएं ४० से ६० आयु वर्ग के मध्य पति गंवाती हैं, उनके ज्यादातर १७ से २० आयु वर्ग की संतानें होती हैं। ऐसी स्त्रियों को इस प्रस्ताव के अनुसार सहायता नहीं मिलती, क्योंकि उनकी संतानें अब कमाने जितनी बड़ी हो गई हैं। यदि इनमें से कुछ स्त्रियां लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी तो भी मात्र छह माह या एक वर्ष के लिए ही। इस प्रकार, यह प्रस्ताव दोनें आयु वर्गों की एकाकी महिलाओं की बड़ी होशियारी से उपेक्षा करता है।

लिखा-पढ़ी के बोझ में वृद्धि

इस प्रस्ताव से पूर्व सहायता प्राप्त करने के लिए गरीब स्त्रियों को अनेक प्रकार के दस्तावेज इकट्ठे करने पड़ते थे। उनमें पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, खुद की व संतानों की वय के प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित फोटो आदि शामिल हैं। ये सारे दस्तावेज उन्हें ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसील विकास अधिकारी और तहसीलदार से लेने होते हैं। यह प्रस्ताव इस बोझ को हल्का नहीं करता, वरन् असहाय स्त्रियों के बोझ को और ज्यादा बढ़ाता है। उसने पुनर्विवाह किया अथवा नहीं, ऐसा प्रमाण-पत्र तहसीलदार से या तहसील विकास अधिकारी से प्रति वर्ष लेने पड़ेगा और हर साल जुलाई माह में सौंपना पड़ेगा। ये सारे अधिकारी शहरों में रहते हैं। गांव से बहुत दूर होने के कारण वे प्रमाण-पत्र कैसे दे सकते हैं और गरीब व निरक्षर महिलाएं ऐसी परिस्थिति में इन अधिकारियों से किस तरह बार-बार सम्पर्क कर सकती हैं?

एकाकी महिलाओं पर पर्यावरण को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी के बारे में लोक कहावत ऐसी है कि 'घाव पर नमक छिड़कना'।

नये प्रस्ताव द्वारा किये गए परिवर्तन	मंच द्वारा सुझाये गये परिवर्तन
१. लाभार्थी हेतु आयु सीमा ४० से ६० वर्ष	१. १८ से ६० वर्ष की मूल व्यवस्था यथावत रहे।
२. १० से ४० वर्ष की विधवा स्त्रियों को १ वर्ष में व्यवसायपरक प्रशिक्षण देकर पुनर्वास किया जाए।	२. १८ से ४० वर्ष की विधवा स्त्रियों को समाज के परंपरागत रिवाजों के कारण बाहर निकलने में मुश्किल पड़ती है। उन्हें विविध दायित्व निभाने के कारण प्रशिक्षण लेने में मुश्किल होगी। अतः पूर्व शर्त रद्द की जाए।
३. विधवा हुई महिला को विधवा होने की तारीख से १ वर्ष में प्रार्थना-पत्र देना होगा।	३. सामाजिक कुरीतियों के कारण विधवा महिलाएं बाहर नहीं निकल सकतीं। इसके अलावा, कई भीतरी गांवों में इस बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसी समय सीमा का पालन एकाकी नारी के हक के विरुद्ध है, अतः इसे रद्द करें।
४. परित्यक्ता, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं को सहायता नहीं मिलेगी।	४. परित्यक्ता, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं को सहायता मिलने का हक होना जरूरी है, अतः यह व्यवस्था रद्द की जाए।
५. अकेली स्त्री ने दूसरा विवाह नहीं किया इसका तहसीलदार या टी.डी.ओ. से प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष जुलाई मास में प्रस्तुत किया जाए।	५. ग्राम सभा का प्रमाण-पत्र मान्य समझा जाए क्योंकि वे गांव में सहज उपलब्ध होते हैं और हकीकत से वाकिफ भी होते हैं।
६. एकाकी महिला को पांच वृक्ष उगाने होंगे।	६. पर्यावरण की रक्षा करना भारत के हर नागरिक का दायित्व है अतः इसे हर योजना में लागू किया जाए। यह व्यवस्था लाभार्थी के लिए पूर्व शर्त नहीं रहनी चाहिए।
७. ६.५.२००३ तक सहायता प्राप्त करने वाली जिन महिलाओं ने डाकघर में खाता खुलवाया होगा उन्हें ही सहायता मिलगी।	७. जानकारी के अभाव में देर से खाते खुलवायें हों उन महिलाओं को भी सहायता मिलनी चाहिए, योजना के अमल हेतु देखरेख रखनी चाहिए।

यह लोक-कहावत को सत्य सिद्ध करता है। यह अकेली महिलाओं को पांच वृक्ष लगाने को कहता है। उद्योगपतियों और व्यवसायियों को उनका व्यवसाय शुरू करने हेतु लोन दिया जाता है, जमीन दी जाती है और आवश्यक अनुमतियां दी जाती हैं, तब उनको वृक्ष उगाने के लिए कभी नहीं कहा जाता। कई राज्यों में तो यह सब 'एक खिड़की' (सिंगल विंडो) पद्धति से दिया जाता है। जो चुनाव लड़ते हैं, भारी-भरकम सब्सिडी और लोन लेते हैं और राज्य से भी अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो उनको कभी वृक्ष उगाने के लिए नहीं कहा जाता। तब फिर क्यों सिर्फ एकाकी स्त्रियों को ही ऐसा करने को कहा जाता है? कच्छ जैसे इलाकों में जब अकाल होता है, और पानी की कमी होती है, और पानी लाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, तो पांच वृक्ष उगाने की बात कैसे सोची जा सकती है? पर्यावरण को हरा-भरा बनाना वांछित है और इसे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनाया जाना चाहिए, सिर्फ एकाकी नारी की नहीं। उन्हें इसके लिए पांबंद नहीं किया जाना चाहिए वरन् उन तमाम लोगों को पाबंद किया जाना चाहिए, जो एक या दूसरे ढंग से राज्य की विविध योजनाओं का लाभ हासिल करते हैं।

'एकल नारी शक्ति मंच' की मांगें

एकाकी स्त्रियों के लिए संघर्ष करने वाला समूह 'एकल नारी शक्ति मंच' इस प्रस्ताव की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है कि -

(१) आर्थिक बाधाओं के कारण अथवा किसी प्रकार की विकलांगता की वजह से विवाह न कर सकने वाली महिलाओं, परित्यक्ताओं

और तलाक शुदा महिलाओं को भी इस योजना के अधीन सहायता मिलनी चाहिए।

(२) १८ से ६० आयु वर्ग की एकाकी महिलाओं को जैसे पहले मिलती थी उसी तरह नगद सहायता मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी संतान २१ वर्ष की हो तब तक गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली महिला को यह सहायता पूर्व में मिलती थी उसी तरह मिलनी चाहिए। उनसे संबंधित सूचनाएं सहेज कर रखीं जाएं और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा व नगरपालिकाओं में वार्ड समिति द्वारा इसकी जांच हो।

(३) उनके लिए नए काम पैदा करके उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण रखा जाए और वे गरीबी रेखा से ऊपर आएं तब तक नगद सहायता चालू रखनी चाहिए।

(४) लिखा-पढ़ी का बोझ जबर्दस्त परेशानी देने वाला है अतः इसे यथासंभव कम किया जाना चाहिए। विविध प्रमाण-पत्र देने का अधिकार ग्राम पंचायत और नगरपालिका को सौंपा जाना चाहिए। पुनर्विवाह किया है या नहीं, इसकी जांच का जिम्मा ग्राम पंचायत या पालिका समिति का रहे, लाभार्थी स्त्री का नहीं। वे ही समाज सुरक्षा विभाग को सूचना दें।

(५) पांच वृक्ष लगाने का नियम स्वैच्छिक हो, अनिवार्य नहीं।

(६) अनुभव ऐसा रहा है कि नगद सहायता भी नियमित रूप से नहीं मिलती और सरकारी अधिकारी पैसे नहीं हैं, ऐसा कारण बताते हैं। यह सहायता नियमित मिले इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(७) लंबे समय से आय की सीमा यथावत् है। दूसरी तरफ, आवश्यक वस्तुओं के भाव कई गुणा बढ़े हैं। अतः तदनुसार उस राशि में संशोधन करना चाहिए।

(८) पोस्ट आफिस में बचत खाता खुलवाने की अंतिम तिथि लाभार्थी हेतु ६.५.२००३ रखी गई थी। सूचना के अभाव में अनेक स्त्रियां यह खाता नहीं खुलवा सकीं, इस वजह से उन्हें सहायता नहीं मिलती। यह तारीख बदली जानी चाहिए।

सरकारी निर्णय के समक्ष रोष

इस विषय में विविध स्तर पर सरकारी अधिकारियों व मंत्रियों के समक्ष शिकायत करने के बावजूद सरकार द्वारा एकाकी नारी के मुद्दे पर कोई पहल नहीं की गई। परिणामतः राज्य में विविध स्थानों पर विविध समूहों के साथ कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं की एक मीटिंग दि.२४.११.२००४ को आयोजित की गई थी।

उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य निर्दिष्ट पेंशन योजना बंद की जा रही है, उसकी जानकारी देने के अलावा एकाकी नारी की समस्याओं को किस तरह बुलंद किया जा सकता है और उसकी रणनीति क्या हो सकती है, इसकी रूपरेखा तैयार करना था। इस मीटिंग में की गई चर्चा, प्रवृत्ति, आयोजन का विवरण यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संक्षिप्त विवरण के द्वारा एकाकी नारी शक्ति मंच राज्य भर में प्रवृत्त सामाजिक संस्थाओं तक पहुंचने की मंशा रखता है और उन सबको नारी की समस्याओं के लिए सक्रिय होकर इस मंच से जुड़ने का निमंत्रण देता है।

मीटिंग में चर्चित मुद्दे

(१) गुजरात सरकार के प्रस्ताव (क्रमांक नवस-१०२००३-९६-अ दिनांक १.८.२००३) के अनुसार क्रियान्वयन में लाए गए परिवर्तन की जानकारी।

(२) निर्दिष्ट प्रस्ताव के अनुसार एकाकी नारी पुनर्वास पेंशन योजना में जो परिवर्तन किये हैं, उनके विषय में चर्चा परिचर्चा के बाद सर्व सम्मति के अनुसार योजना में सुधारों के सुझावों की सूची।

(३) एकाकी महिला सम्मानपूर्वक, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सके इस हेतु क्रियान्वित किये जाने वाले व्यूहात्मक उपायों के बारे में चर्चा, जैसे कि कानूनी संघर्ष, लोक स्वीकृति के विविध कार्यक्रमों, प्रवृत्ति, एकाकी नारी संबंधी सूचनाएं एकत्र करना, इत्यादि।

(४) विविध कार्यक्रमों के अमल हेतु भावी आयोजन तथा यह मंच सुविधाजनक रूप से प्रवृत्त रहे, इस हेतु जिम्मेदारियों का आवंटन।

इस मीटिंग में लगभग ४० कार्यकर्ता, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मीटिंग के आरंभ में एकाकी नारी शक्ति मंच कच्छ तथा सामाजिक न्याय केंद्र द्वारा इस संबंध में की गई प्रवृत्तियां प्रस्तुत की गई। तदुपरांत निर्दिष्ट सरकारी प्रस्ताव के अनुसार योजना में किये गए परिवर्तन के बारे में एक-एक करके चर्चा हुई और चर्चा के अंत में योजना में किये गए परिवर्तनों के विरुद्ध मंच द्वारा तय किये गए सुझावों की सूची तैयार की गई जो यहां संक्षेप में प्रस्तुत है। इस चर्चा के बाद कौनसे कदम उठाये जाने चाहिए, उनका आयोजन किया गया था।

(१) हर जिले स्तर से इसे मुद्दे को उठाना और एक दिन तय करके हर जिले के कलेक्टर को आवेदन पत्र देना। दिनांक १६ दिसंबर २००४ का दिन सब को उचित लगा था, साथ ही यह आवेदन पत्र देते समय कम से कम २५ एकाकी महिलाएं साथ होनी चाहिए।

(२) पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान चलाना। इस कार्यक्रम का आरंभ दिनांक ६.१२.२००४ को 'आनंदी' संस्था द्वारा आयोजित अन्न सुरक्षा अधिवेशन से किया गया था।

(३) गांधीनगर में बड़े स्तर पर सम्मेलन करके विरोध प्रदर्शित करना।

(४) गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करना। इस मामले में कौनसे कानूनी कदम लिये जा सकते हैं, इसकी रणनीति के विषय में 'सामाजिक न्याय केंद्र' (जन विकास) द्वारा दिनांक १०.१२.२००४ तक जानकारी की जाएगी।

(५) प्रशासन तंत्र, न्याय तंत्र में भी इस विषय में अभिवेदन प्रस्तुत करना।

(६) अलग-अलग स्थानों से एकाकी नारी के जीवन का वर्णन करने वाली केस-स्टडी तैयार करके जन-संचार माध्यमों द्वारा प्रचार करना ताकि इस मामले में जन जागृति बढ़े और समाज के विविध लोग मंच को सहयोग दें।

(७) राज्य भर से एकाकी महिला संबंधी सूचनाएं इकट्ठी करना जिनके आधार पर लोग पैरवी कर सके। इसके लिए प्रत्येक संस्था तहसील बार कम से कम ५० फार्म भरकर १५ जनवरी २००५ तक एक्शन एड अहमदाबाद कार्यालय में जमा करायेंगे। यह फार्म वर्षा, मीना व सुशीला तैयार करेंगी, जो मंच के सदस्यों को भेज दिये जाएंगे। उनकी इन फार्म के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करके फार्म मंच की सभी संस्थाओं को भज दिये जाएंगे।

(८) मंच में उपस्थित सहभागी संस्थाओं - व्यक्तियों के अलावा अन्य कार्यकर्ता, संस्थाएं इस संबंध में कार्यान्वित हों, यह जरूरी है, ऐसा सबने अनुभव किया। इससे विविध व्यक्ति-संस्थाएं अपने कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त अथवा उनके साथ नजदीकी का संबंध रखने वाली संस्थाओं को इस बारे में जानकारी प्रदान करेंगे तथा मंच की प्रवृत्तियों को गति देने हेतु मंच में जुड़ने के लिए आमंत्रण देंगे।

(९) इस मंच की गतिविधियों का समन्वय १ मई, २००५ तक किये जाने हेतु एकाकी नारी शक्ति मंच द्वारा जिम्मेदारी ली गई है, इसकी अहमदाबाद का कार्यलय मंच की समन्वय इकाई के रूप में दायित्व निभायेगा।

स्थानीय एकाकी महिलाओं की आवाज

१. नामः बबी बहन पोपटभाई कोली
उम्रः ३६ वर्ष
गांवः तुणा (वंडी)
संतानः नहीं
श्रेणीः विधवा

मेरा विवाह आज से २० वर्ष पहले तुणा गांव में हुआ था। विवाह के बाद हम ससुराल के संयुक्त परिवार में रहते थे। घर में होने वाले छोटे-छोटे झगड़ों के कारण मैंने और मेरे पति ने अलग रहने का निश्चय किया। मैं और मेरा पति शुरूआत से नमक के पटल में काम करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। वैवाहिक जीवन के पांच वर्ष बाद हमें संतान सुख प्राप्त हुआ, पर वह सुख

अल्पकाल तक ही था। मेरी कोख ने नौ संतानों को जन्म दिया, परंतु उनमें से एक भी संतान एक माह से अधिक जीवित नहीं रही।

हम संतान सुख की आशा छोड़ कर, मजदूरी करके पति-पत्नी एक-दूसरे के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु कुदरत को हमारा यह सुखी जीवन भी मंजूर न था, अतः एक दिन अचानक अत्यधिक मेहनत करने के कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई और मुझ पर एक बड़ी आफत आ गई। मेरा जीवन पराधीन हो गया। मैं बचपन से ही कुदरत के क्रूर मजाक का शिकार बनती रही हूं। अपने माता-पिता की मैं एक ही संतान थी। बचपन में ही मैंने मां-बाप की छत्र-छाया गंवा दी थी। मेरी माता या पिता के परिवार में कोई न था। बाल्यावस्था में ठोकरें खाते-खाते अड़ोस-पड़ोस के सहारे में बड़ी हुई थी। मेरा विवाह तुणा गांव में जब हुआ, तो मुझे लगा कि अब जीवन में मेरा अपना कोई है। परंतु कुदरत तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, मैं जिन्हें अपना मानती थी वे मुझसे हमेशा के लिए पराये हो गये।

आज से छह वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हुई थी। गांव के लोगों द्वारा सरकार से मिलने वाली सहायता की मुझे जानकारी मिली और उन्होंने मुझे यह सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया। सरकारी सहायता की व्यवस्था के अनुसार सहायता प्राप्त करने हेतु इधर-उधर से उधार के पैसे लेकर मैंने बहुत धक्के खाये। इसके उपरांत पटवारी से सबूत निकलवाने में भी बहुत मुश्किलें पड़ी। इतनी परेशानी उठाने के बाद मुझे सरकारी सहायता मिलने लगी। उससे मुझे बहुत राहत मिली। पर सरकारी सहायता मुझे कभी नियमित मिलती, कभी नहीं मिलती। परंतु एक आशा रहती है कि आगामी महिने सहायता मिलेगी तो उधार चुका दूंगी, ऐसा मान कर दुकानदार से उधार चीजें खरीद कर लाती हूं और अपना गुजारा चलाती हूं।

सरकार ने सहायता में जो फेरफार किया है उसके कारण मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार के नये जी.आर.के अनुसार मैं प्रशिक्षण से जुड़ने योग्य नहीं हूँ। इसके अलावा, सरकारी निर्णय के अनुसार साधन सहायता की मर्यादा में गांव की दस एकाकी महिलाएं किस तरह रोजगार हासिल कर सकेंगी। एकाकी महिलाओं (विधवा) को स्वावलंबी बनाने का विचार अच्छा है, पर वह कितना असरदायी है, इसे सरकार को देखना चाहिए। सरकार की तीन हजार रुपए की मर्यादा में मिलने वाली साधन सहायता से गांव में रोजगार मिलना कठिन है। सरकार द्वारा अनियमित मिलने वाली सहायता से मुझे बहुत राहत थी। यह सहायता बंद हो जाएगी तो मेरे जैसी जीवन में हमेशा संघर्षमय जीवन बिताने वाली महिलाओं पर तो बिजली ही गिर पड़ेगी।

(२) नामः फात्मा बहन ईसा मथड़ा
उम्रः २८ वर्ष
गांवः देवलिया (अंजार, कच्छ)
बालकः नहीं
श्रेणीः परित्यक्ता

फात्मा बहन का विवाह लगभग ७ वर्ष पहले उनकी सगी बुआ के बेटे के साथ हुआ था। उनका घर-संसार सिर्फ २ वर्ष चला होगा और उसके पति की मांगें शुरू हो गई और बार-बार झगड़े करके किसी न किसी बहाने वह मारपीट करता, और 'अपने पीहर से पैसे ले आ, नहीं तो भाग जा यहां से' ऐसा करते हुए उसे पीटता।

ऐसी परिस्थिति सहन करते हुए भी फात्मा बहन ने दो वर्ष गृहस्थी चलाई, परंतु शारीरिक, मानसिक त्रास बढ़ता जाता था। समाज द्वारा भी समाधान हेतु प्रयत्न किये गए, पर फात्मा बहन की जीवन जीने का रास्ता कहीं नहीं दिखा। इससे थक हार कर उसके पति के कथनानुसार वह स्थायी रूप से माता-पिता के आश्रय में आ गई। फात्मा बहन को भरण-पोषण का मुकदमा करने हेतु समझाने पर उसके शब्द थे कि आज तक भरण-पोषण का मुकदमा लगाने वाली कितनी परित्यक्ताओं को सरकार ने आसानी से भरण-पोषण चुकाया है? कोर्ट-कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से दो वक्त खा पाते हैं, पर वहां कोर्ट, वकीलों की फीस और भाड़े-भत्ते के पैसे कहां से लायें? फात्मा बहन को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता का पता लगा और उसमें उसके फार्म भर दिया, पर सरकार की उलझन भरी नीति के कारण

उसे बहुत धक्के खाने पड़े और सरकारी आफिसों से फार्म आगे भेजा है। थोड़े समय बाद मिलेगी, ऐसा उत्तर सुनकर उन्होंने सहायता की आशा छोड़ दी और तभी महाविनाशकारी भूंकप आया और उसके पास जो भी थोड़ा-बहुत था, वह भी दफन हो गया।

इस आघात से जब वह बाहर आई तब उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था, उसे पेंशन की जरूरत महसूस हुई और वह भरे हुए फार्म की जांच कराने गई तो उस पर सरकार द्वारा एक और भूकंप का झटका लगा। अभी बड़ी मुश्किल से भूकंप के आघात से खड़ी हुई थी कि सरकार के जी.आर के संशोधन के कारण यह जानने को मिला कि परित्यक्ता महिलाओं को सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया है।

फात्मा बहन कहती है कि सरकार की यह कैसी नीति है कि जिसमें बिना किसी जानकारी बिना एकदम से पेंशन बंद कर दी गई। सरकार कहती है कि परित्यक्ता महिलाओं को भरण-पोषण का कानून होने से वे उस कानून का लाभ ले सकती हैं, अतः उनको पेंशन बंद की गई है। परंतु वास्तविक परिस्थिति के अनुसार इस लंबी प्रक्रिया में पड़ना, गलत खर्चे करना और इनके बावजूद वह चालू हो तब भी एकाध महीने मिलकर बंद हो जाएगी। अभी फात्मा बहन अपनी मां के दिये एक कमरे में रहती हुई गांव में मजदूरी मिल जाती है तो काम करके अपना गुजारा चलाती है। कभी-मजदूरी न मिलने पर भूखी ही सो जाती है। ऐसी दशा के कारण वह कहीं बाहर नहीं जा सकती, यही गांव उसकी दुनिया है। बाहर की दुनिया कैसी है, यह भी वह देख नहीं सकती।

उसका राशन कार्ड अलग नहीं, उसकी मां के साथ है। उसे अलग बनवाने के कई प्रयत्न किये, पर अभी हुआ नहीं। वह बताती है कि ऐसे समय में यदि सरकारी सहायता के ५०० रु. उन्हें मिलते तो बहुत बड़ी मदद होती, पर सरकार द्वारा लिये गए इस दमनकारी निर्णय ने उसे कहीं का नहीं रखा।

(३) नामः जोमी बहन कोली
गांवः जंगी, तह. भचाऊ
उम्रः ५० वर्ष
श्रेणीः अविवाहिता, निराश्रिता, दृष्टिहीन

मेरा नाम जोमी बहन कोली है। मैं भचाऊ तहसील के अंतर्वर्ती जंगी गांव में रहती हूं। मैं दृष्टिहीन और निराश्रिता हूं। बचपन से ही अपने माता-पिता और भाइयों के साथ रहती थी। बचपन में बीमारी के कारण मेरी दोनों आंखें जाती रहीं। भाई विवाह करके अपने परिवार के साथ अलग रहने लग गए। माता-पिता के देहांत के बाद मैं निःसहाय रह गई हूं। मैं अलग रहती हूं, भाई-भाभी कभी खाने को दे जाते हैं। इसी तरह पास-पड़ोस के लोग जो कुछ खाने को दे जाते हैं, उसी से मैं अपना जीवन बिता रही हूं। भूंकप में मेरा मकान गिर पड़ा था। मुझे बहुत थोड़ी सहायता मिली थी, मेरे भाई और संस्थाओं की मदद से मेरा मकान तैयार हुआ है।

निःसहाय और दृष्टिहीन होने से मेरे गांव के जान-पहचान वाले व्यक्ति द्वारा समाज-सुरक्षा की निराश्रिता, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता का फोर्म भरवाया गया। उसके बाद मुझे समाज-सुरक्षा द्वारा आर्थिक सहायता मिलती थी। पिछले दो वर्षों से सहायता मिलती बिलकुल बंद हो गई है। मुझे समाज-सुरक्षा की ओर से आज तक किसी तरह की सूचना नहीं भेजी गई। गाँव में आने वाले संस्था के भाइयों द्वारा सूचना मिली कि समाज सुरक्षा की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए नियमों में फेरफार किये गए हैं। उसके अनुसार तहसीलदार अथवा तहसील विकास अधिकारी से प्रमाण पत्र मान्य था। उनसे प्रमाणपत्र खोलने की बात थी तो उस बारे में भी मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं, और मेरा खाता नहीं खोला जा सका। हमारे जैसी निःसहाय, निराश्रिता और विकलांग महिलाएं पहले से ही समाज में उपेक्षित होती हैं। यदि सरकार द्वारा ऐसे परिवर्तन किये जाते हैं तो हमारा अस्तित्व टिकाये रख पाना बहुत कठिन हो जाएगा।

सरकार स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण लेने के बारे में बताती है, यह हमारे जैसी दृष्टिहीन महिलाओं के लिए किस तरह संभव है? सरकार की ऐसी दमनकारी नीति के कारण मेरे जैसी निःसहाय एकाकी महिलाएं एकदम निराश्रित बन गई हैं।

गतिविधियाँ

अन्न सुरक्षा : आदिवासियों का सम्मेलन

ग्रामीण इलाकों में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अवसर न के बराबर होने के कारण अधिकांश ग्रामीण आबादी फुटकर खेत-मजदूरी पर आधारित है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को ज्यादातर न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। जीवन को बनाये रखने के लिए अन्न सुरक्षा व गरीबी निवारण के प्रयासों की सख्त जरूरत है। इसके लिए योजना सुधार के उपरांत संसाधनों पर गरीबों की पहुँच तथा उसके न्यायपरक वितरण की अत्यंत जरूरत है। जन-अभियान के द्वारा योजनाओं की पूरी जानकारी और उसके क्रियान्वयन में विद्यमान कमियां सामने आएं, इसके लिए पंचमहाल-दाहोद तथा सौराष्ट्र अंचल में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं तथा लोक-संगठनों ने अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान की शुरूआत की है। यह अभियान किसी एक क्षेत्र, समुदाय या संस्था तक सीमित नहीं है।

पंचमहाल व दाहोद अंचल की आदिवासी पट्टी हमेशा से अकालग्रस्त अथवा अभावग्रस्त कही जाती रही है। वहां बसने वाले आदिवासियों के समक्ष अन्न असुरक्षा के सवाल विकराल रूप में खड़े हैं। इस विषय में जागरूकता लाने तथा तंत्र में विद्यमान अनियमितता को बाहर लाने के लिए देवगढ़ महिला संगठन, पानम महिला संगठन, और आनंदी के संयुक्तावधान में देवगढ़ बारिया में ६-७ दिसंबर २००४ को सम्मेलन आयोजित किया गया।

दूसरे दिन, अन्न सुरक्षा के मुद्दे पर आदिवासियों के द्वारा खेले गए नाटक से जन सुनवाई की शुरूआत हुई। सुनवाई में पंचमहाल, दाहोद, भरूच, साबरकांठा, सूरत, भावनगर, नर्मदा, वलसाड़, वडोदरा, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के पंद्रह सौ से अधिक आदिवासी, दलित तथा वंचित बहनों ने उपस्थित रहकर अपनी बात व्यक्त की।

दीविया से आईं बाजीबहन राठवा के ग्राम में अभी तक सड़कें नही हैं। जंगल के भीतरी इलाके में गांव होने से जाने-आने में मुश्किलें पड़ती है। गांव में सस्ते अनाज की दुकान नहीं है। वर्षा काल में दशा और भी दयनीय हो जाती है। इसी गांव की निवासी बोदी बहन भूख से मर गईं क्योंकि अनाज लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसी क्षेत्र में गुजासुरा गांव में ४९ बी.पी.एल. कार्डधारियों को ५ किलो गेहूं और २ किलो चावल मिलते हैं, जबकि उनके कार्ड में ९ किलो गेहूं और ३.५ किलो चावल देने का गलत तथ्य दर्ज किया जाता है।

आंकली गांव की पांच महिलाओं को सितंबर माह का खाद्य तेल नहीं मिला, फिर भी उनके कार्ड में तेल देने का गलत तथ्य दर्ज हुआ है। देवगढ़ बारिया के लावरिया गांव में रहने वाली बुधा बहन कहती हैं कि 'अंत्योदय योजना के अधीन मुझे ५ किलो गेहूं और २ किलो चावल मिलते हैं, पर हकीकत में इस योजना की व्यवस्था के अनुसार बुधा बहन को ३५ किलो अनाज मिलना चाहिए। घोघंबा तहसील के रणजीतनगर में रहने वाली गंगाबहन बारिया के पास राशन कार्ड नहीं हैं। उनके पति के देहावसान के बाद अपंग बालक की जिम्मेदारी उन पर है। आजीविका का कोई साधन न होते हुए भी सरकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता।'

जन सुनवाई के पैनल ने जब प्रश्न पूछा कि अनाज कम मिलने के मामले में शिकायतें किन-किन को हैं, तो उसके जवाब में सामने बैठे लोगों में से लगभग आधों ने उंगली ऊपर उठाई थी।

'स्वराज' को 'मायाराम सुरजन फाउन्डेशन द्वारा पुरस्कार'

सितंबर २००१ से 'उन्नति' राजस्थान द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्र 'स्वराज' को मध्य प्रदेश के 'मायाराम सुरजन फाउंण्डेशन' द्वारा २००३-०४ की आठवीं अखिल भारतीय समाचार पत्रिका स्पर्धा में पारितोषिक प्रदान किया गया है। यह पत्र पंचायतों व पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि में लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के विख्यात पत्रकार और मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मायाराम सुरजन की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है।

जन सुनवाई के पैनल में गुजरात के कन्ट्रोलर और आडीटर जनरल श्री अमिताभ मुखोपाध्याय, दाहोद जिला कलैक्टर श्री आर.आर. सोलंकी, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री प्रशांत जोशी, श्री विराणी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पंचमहाल के श्री एन.वी.राणा, 'आवाज' संस्था की श्री इलाबहन पाठक, मानव कल्याण ट्रस्ट के श्री लल्लूभाई देसाई, कर्मशील व सर्वोच्च अदालत के अन्न सुरक्षा कमिश्नर के राज्य सलाहकार श्री प्रसाद चाको, छत्तीसगढ़ अन्न सुरक्षा अभियान के श्री सत्यकाम जोशी व पैनल के अध्यक्ष के रूप में जाने-माने पत्रकार व कर्मशील इन्दुकुमार जानी का चयन किया गया था।

जन सुनवाई में प्रस्तुत शिकायतों की प्रतिक्रिया में जिला कलैक्टर श्री सोलंकी ने 'सस्ते अनाज की दुकानों विषयक शिकायतें' लिखित रूप में देने की अपील की ताकि जरूरी लगे तो दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जा सके। जिला रसद अधिकारी ने जन समुदाय को भरोसा दिया कि सुनवाई में प्रस्तुत प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच करके छानबीन की जाएगी और उसका प्रतिवेदन लिखित रूप में लोगों को भेजा जाएगा।

'सेंटर फोर सोशियल स्टडीज' के श्री सत्यकाम जोशी ने कहा कि 'अन्न सुरक्षा एक राजनीतिक मुद्दा है'। इस बारे में समाधान करने के लिए लोगों को नीचे से आवाज उठानी चाहिए। ग्राम सभाओं को सक्रिय व मजबूत बनकर ऐसे मूलभूत अधिकारों की बात करनी पड़ेगी।

'वादा न तोड़ो अभियान'

'वादा न तोड़ो अभियान' नागरिक समूहों का एक प्रयास है। इसमें सरकार से उसके द्वारा लोक कल्याण व विकास हेतु दिये गए वचन पूरे कराने के लिए दबाव डाला जाता है। इस अभियान का यह मानना है कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये। ये सुविधाएं प्राप्त करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, कारण यह कि सरकार ये उपलब्ध करायेगी, इस विश्वास पर ही वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं।

राष्ट्रीय विकास लक्ष्यांक, १०वीं पंचवर्षीय योजना तथा समान न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार ने गरीबों के हित में अनेक वादे किये हैं। सवाल यह है कि ये वादे तो किए गए हैं, पर ये पूरे किस तरह हों? अब तक का अनुभव ऐसा रहा है कि सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है। अतः हमें सरकार पर उन वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालने की जरूरत है। याने स्थानीय स्तर से ताकत लगानी पड़ेगी। यह ताकत स्थानीय समुदायों, वंचित वर्गों, दलित संगठनों से लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही सरकार की निष्क्रियता के सबसे ज्यादा शिकार बने होते हैं। इस अभियान ने १, दिसंबर २००४ से १ मई २००५ तक अलग-अलग आठ दिनों में अलग-अलग कार्यक्रम सूचित किये हैं। सम्पर्कः नेशनल सोशियल वाच कोएलिशन, पी-७८, दूसरी मंजिल, साउथ एक्सटेंशन, भाग-२, नई दिल्ली-११००४९. फोन : ०११-५१६४४५७६, ई-मेल : nationalsocialwatch@yahoo.co.in

'ग्लोबल कॉल टू एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी'

दुनिया भर में गरीबी निवारण के लिए काम करने और विश्व नेताओं पर दबाव के लिए सभ्य समाज के अधिक से अधिक संगठन काम कर रहे हैं। उन्होंने इस नाम से एक अभियान शुरू किया है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरे करने हेतु यह आंदोलन विश्व के नेताओं पर दबाव डाल रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला यह 'वादा न तोड़ो अभियान' हैं। समग्र वर्ष २००५ के दौरान दुनिया भर में अनेक कार्यक्रम और अभियान आयोजित होंगे तथा नेताओं पर दबाव डाला जाएगा। सम्पर्क : ई मेल : info@whiteband.org फैक्स : ४४ (०) ८७००१०८७०७

जोकिन आर्पुथम को फ्रेंच एवार्ड मिला

१९७५-७७ की अवधि में १९ माह की अवधि के लिए भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लादी गई आपात स्थिति के दौरान मुम्बई में जोकिन आर्पुथम की झोंपड़ी तोड़ डाली गई थी। उस घटना ने उनकी जिंदगी बदल डाली थी। उन्होने झोंपड़वासियों के लिए काम करना शुरू किया। हाल ही में उन्हे फ्रांस सरकार द्वारा वंचितों की मदद करने के लिए 'नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट' नामक प्रतिष्ठित एवोर्ड दिया गया है। पूर्व में उन्हें मैग्सेसे एवार्ड प्रदान किया जा चुका है। आर्पुथम ने झोपड़वासियों की समस्याओं को वाजी देने के लिए तथा समाधान के लिए 'नेशनल स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन' की स्थापना की। मुंबई में अभी कांग्रेस - एन.सी.पी. की सरकार के द्वारा झोपड़वासियों को हटाने का अभियान चल रहा है, तब आर्पुथम को मिला यह एवार्ड उनके अभियान को ज्यादा से ज्यादा ताकत प्रदान करेगा ऐसी आशा है।

स्त्री हिंसा विरोधी अभियान

दिनांक २५-११-०४ से १०-१२-०४ के मध्य महिलाओं व बालिकाओं पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने हेतु आंदोलन चलाया गया था। २५ नवंबर स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार के विरोध का दिन है। १० दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। अत: प्रतीकात्मक रूप से ये दो दिन चुने गए। इनके द्वारा इस विषय पर बल दिया गया कि स्त्री पर होने वाला अत्याचार उसके मानवीय अधिकारों का हनन है। इस अवधि के दौरान विश्व की बहनें स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार घटें, इस बारे में सघन अभियान हाथ में लेती हैं।

सौराष्ट्र-कच्छ की संस्थाओं द्वारा गत वर्ष सौराष्ट्र व कच्छ के १८० से अधिक गांवों में अभियान चलाया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार रोकने में पुरुषों का उत्तरदायित्व तय करना था। इस वर्ष भी इन छह संस्थाओं ने साथ मिल कर २०० गांवों में यह अभियान चलाया है। इस बार अभियान का केंद्र बिंदु है युवक (२५ वर्ष से कम उम्र के युवक-युवती)। इस अभियान के दौरान तथा बाद में युवक इन प्रश्नों को संबोधित करने तथा महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के मुद्दे पर प्रेरक भूमि अदा करने का अग्रणी कार्य करेंगे।

इस अभियान द्वारा ये युवक सामाजिक भावनाओं में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ायेंगे। यह अभियान का प्रयास रहेगा कि परिवर्तन के अग्रणियों के संख्या बढ़े और बढ़ती ही रहे। ५ जिलों और २०० गांवों में संचालित यह अभियान १० दिसंबर को राजकोट में एक रैली और सम्मेलन में बदल गया था। सम्मेलन में ५ जिलों के ५०० से अधिक युवकों ने भाग लिया था। सम्पर्क : स्वाति स्त्री विकास व प्रशिक्षण संस्था, प्लाट नं.६५-६६-६७, जी.आइ.डी.सी. एस्टेट, ध्रांगध्रा-३६३३१०, फोन : ०२७५४-२८१३३८ ई मेल : swatiorganisation@sancharnet.in

राजस्थान में स्त्री-हिंसा विरोधी अभियान

मानवाधिकार दिवस १० दिसंबर २००४ को अजमेर विश्रामस्थली में स्त्री-हिंसा विरोधी अभियान आरंभ हुआ था। इस हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बतौर योजना आयोग की सदस्या सुश्री सईदा हमीद उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में अजमेर के तीन कॉलेजों और गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया था। अजमेर जिला के कलैक्टर श्री महावीर सिंह भी इस मौके पर उपस्थित थे। नाटक, गीत, कठपुतली, भवाई आदि द्वारा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के संदर्भ में कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए थे। अलग अलग जिलों के समूहों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा-परिचर्चा की थी।

राजस्थान के सभी जिलों के लगभग ७०० युवक युवती उपस्थित थे। अजमेर नगर में रात को मोमबत्ती जुलूस निकाला गया था और स्त्री-हिंसा विरोधी मानसिकता उत्पन्न करने के प्रयास किये गए थे। सम्पर्क: 'वी कैन मिशन राजस्थान', ४६ चित्रकूट कॉलोनी, माकड़वाली रोड, अजमेर, फोन : ०१४५-३१००४७२

सूचना अधिकार के सम्बंध में द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन

सूचना अधिकार विषयक प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन २००१ में राजस्थान के ब्यावर शहर में आयोजित किया गया था। द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन ८ से १० अक्टूबर २००४ के दौरान नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसका उद्देश्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, विद्वद्जनों और मानवाधिकार हेतु संघर्ष करने वाले लोगों

सुश्री नफीसा बारोट को खोशू मेमोरियल एवार्ड प्रदान

'उत्थान' संस्था की सुश्री नफीसा बारोट को 'हिमालयन एन्वायरन्मेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन' के डॉ. अनिल पी. जोशी के साथ खोशू मेमोरियल एवार्ड २००५ प्रदान किया गया है। यह एवार्ड भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के प्रथम सचिव डॉ. त्रिलोकीनाथ खोशू की स्मृति में टी.एन.खोशू मेमेरियल एंडोमेंट फंड द्वारा दिया जाता है। डॉ. खोशू का २००२ में अवसान हो गया था। उनकी स्मृति में स्थापित इस फंड द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और चिरंतन विकास हेतु काम करने वाले युवा व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए इस एवार्ड की स्थापना की गई है। सुश्री नफीसा बारोट को योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोन्टेकसिंह अहलुवालिया के हाथों यह एवार्ड प्रदान किया गया था।

को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकत्र करना था। २०० संस्थाओं के ७५० सहभागियों ने उसमें भाग लिया था। इस अधिवेशन में सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जन सुनवाई आयोजित की गई। २० राज्यों से आए लोगों ने उसमें भाग लिया और उन्होंने अपने सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बातें की।

जिनकी मांग सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विषयक दस्तावेज देखने की थी उन्हें कुछ दस्तावेज प्रदान भी किये गए थे। दिल्ली में सूचनाधिकार का दस्तावेज २००१ में पारित हो जाने पर भी यह स्थिति थी। एक सर्वेक्षण में यह जानने को मिला था कि ९० प्रतिशत राशन का दुरुपयोग होता था। फिर, जो वस्तुएं वाजिब भाव की दुकानों से दी जाती थी उनकी गुणवत्ता घटिया होने के प्रमाण भी नमूनों के साथ इस सार्वजनिक सुनवाई में प्रस्तुत किये गए थे।

सम्मेलन के दूसरे दिन 'हमारा पैसा हमारा हिसाब' नारे के साथ चर्चा-परिचर्चा हुई। १९९६ में ब्यावर में ४४ दिनों तक सामान्य लोगों ने धरना देकर सूचनाधिकार की मांग की थी। यह आज पूरे देश में बुलंद हुई है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, मध्याह्न भोजन योजना और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में सूचनाधिकार प्रस्थापित करने की जरूरत पर सम्मेलन में बल दिया गया था। दलितों, आदिवासियों और विकलांगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु सूचनाधिकार महत्वपूर्ण है। इस बात पर उसमें ध्यान आकृष्ट किया गया था। कोई राज्य सूचना देने के लिए तैयार नहीं होता, यह तो प्राप्त करनी पड़ती है। जीवन के अधिकार व विकास के अधिकार का संरक्षण भी सूचनाधिकार प्राप्ति बिना संभव नहीं, इस विषय पर सम्मेलन में विशेष चर्चा हुई थी। अन्न सुरक्षा, ग्राम विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक अन्वेषण आदि के संबंध में सम्मेलन के दौरान कार्यशालाएं आयोजित हुई।

अपनी जुबां

'अखिल भारतीय रचनात्मक समाज' के सहयोग से 'उरमूल गावणियार दल' द्वारा ६ एवं ७ दिसंबर को हमराज एंड पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से यह नाटक प्रस्तुत किया गया था। इसमें कश्मीर के लोक कलाकारों ने भाग लिया था। ३० मिनिट के इस नाटक में कठपुतली व रंगमंच का मिश्रण किया गया था। कश्मीर के लोक कलाकारों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर और उनके परिवारों के साथ जो घटनाएं घटी थीं, उनके आधार पर 'नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' की अध्यापिका श्रीमती त्रिपुरारी शर्मा और श्री शिवकुमार के दिग्दर्शन के तहत यह नाटक तैयार किया गया था।

दिल्ली में जवाहरलाल नेहरु युनिवर्सिटी के प्रांगण में, इंडिया गेट में तथा गांधी स्मृति में यह नाटक खेला गया था। कुल १७००

प्रेक्षकों ने इस नाटक को देखा था। इस नाटक का उद्देश्य यह था कि कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के कारण वहां का सामान्य व्यक्ति कितना व किस तरह दु:खी है और वह क्या चाहता है और उसके हिसाब से समस्या का उपाय क्या है, यह बताना था। इस नाटक के साथ कबीर के दोहे व प्रेम तथा भाईचारे की बातें जोड़ दी गई थीं। इस कार्यक्रम को 'चरखा' नई दिल्ली और अहमदाबाद के 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया था।

आगामी कार्यक्रम

गर्भस्थ लिंग परीक्षण के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान

प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेकनीक्स एक्ट १९९४ पिछले १० वर्षों से अमल में है, पर गर्भस्थ बालक के लिंग परीक्षण की रीत रुक गई हो, ऐसा सबूत नहीं मिलता। इसके विपरीत सगर्भावस्था के पहले ही लिंग के चयन संबंधी नई टेक्नोलोजी को मुक्त चयन के नाम पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। डॉक्टर अनेक लिंग परीक्षणों का प्रचार करने में और उन्हें लोकप्रिय बनाने में साधन रूप बन रहे हैं। उसमें साथ ही साथ हमारे समाज में पुत्र जन्म को जो प्रधानता दी जा रही है, उसमें उन्हें धन कमाने में प्रोत्साहन मिलता है। चिकित्सा व्यवसाय में नीतिमत्ता तो दिखती ही नहीं।

उपर्युक्त कानून के कड़ाई से अमल की जरूरत है, ऐसी समझ तो २००१ की जनगणना का प्रतिवेदन आने के बाद विकसित हुई है। 'सिहेट', 'मासूम' और साबु जोर्ज द्वारा एक सार्वजनिक हित की प्रार्थना भी की गई, उसके बाद २००३ में इस कानून को सुधारकर प्री-कंसेप्शन एंड प्री. नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीकल एक्ट बनाया गया है।

इस कानून पर नजर रखने हेतु 'सिहेट' द्वारा मुंबई में २७ व २८ नवंबर २००४ के मध्य एक राष्ट्रीय विमर्श सभा का आयोजन किया गया था। इस विमर्श सभा में ऐसा निर्णय लिया गया कि २७ जनवरी से २ फरवरी २००५ के मध्य बाल लिंग चयन के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा। २९ जनवरी को सभी स्थानों पर रैली आयोजित की जाएगी। बाकी के कार्यक्रम स्थानीय समूह तय करेंगे। इस बारे में काम करने के संदर्भ में गुजरात में एक मंच स्थापित करने की कार्यवाही चल रही है। अधिक जानकी हेतु सम्पर्क करें : 'सहियर', जी-३, शिवांजलि फ्लेट्स, आजवा रोड, वडोदरा-३९००१९. फोन : ०२६५-२५१३४८२

स्त्री-पुरुष समानता के विषय में राष्ट्रीय कार्यशाला

'जागोरी' द्वारा स्त्री-पुरुष समानता के विषय में तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई है। ये कार्यशालाएं स्त्री-पुरुष सामाजिक भेदभाव पितृसत्तात्मक, सामाजिक व्यवस्था तथा नारीवाद जैसे विषयो पर आयोजित की जाएंगी। प्रथम कार्यशाला १४ से १७ फरवरी २००५ के मध्य होगी। दूसरी कार्यशाला २५ से ३० अप्रैल, तथा तीसरी कार्यशाला सितंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। इन कार्यशालाओं के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(१) सामाजिक भेदभाव, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और नारीवाद संबंधी विचारधारा के बारे में समझ निर्मित करना
(२) विकास के वर्तमान नमूने का स्त्री-पुरुष सामाजिक भेदभाव की दृष्टि से विश्लेषण करना और वैकल्पिक कार्यनीति गढ़ना
(३) समुदाय में स्त्रियों के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में समझ पैदा करना
(४) संवेदनशील कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा करना
(५) कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत समन्वय उत्पन्न करना। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित व्यक्ति भाग ले सकेंगे : (१) ऐसे कार्यकर्ता जो इस विषय के बारे में अपनी क्षमता व समझ बढ़ाना चाहें (२) सामुदायिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी क्षमता व समझ बढ़ाना चाहें (३) ऐसे कार्यकर्ता, जिन्हें समुदाय के साथ काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो (४) मानव संसाधन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम के साथ जुड़े कार्यकर्ता। इन तीनों कार्यशालाओं का पंजीकरण शुल्क १००० रु. हैं।

सम्पर्क : जागोरी, सी-५४, साउथ एक्सटेंशन भाग-२, नई दिल्ली ११००४९. फोन : ०११-२६२८७०१५.

संदर्भ सामग्री

नायिका प्रवेश

स्त्रियों की समस्याओं को केंद्र में रख कर रचे गये एकांकी नाटकों का संग्रह है। दिनांक २८.५.२००४ से १.६.२००४ तक वलसाड़ में महिला लेखिकाओं के साथ नाट्य लेखन शिविर का आयोजन किया गया था। समर्थ, दृष्टि एवं वीमेन राइटर्स कलेक्टिव नामक तीन संस्थाओं द्वारा आयोजित इस शिविर में गुजरात व मुम्बई की १२ लेखिकाओं को निमंत्रण भेजा गया था। इस प्रक्रिया में से लघु कहानी आधारित अथवा नये विचार लेकर आने वाले, समाज में स्त्रियों के स्थान के समक्ष प्रश्न खड़े करने वाले १० नाटक उभर कर आए। इनमें से ज्यादातर नाटक सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। इस पुस्तक में ऐसी १० एकांकियों का समावेश किया गया है।

अंजलि खांडवाला, वर्षा अडालजा, हिमांशी शेलत, बिंदु भट्ट, सुवर्णा, आशा वीरेंद्र, आम्रपाली देसाई, सुहास ओझा, कल्पना चौधरी और बकुल घासवाला के नाटक इस संग्रह में संपादित किये गए हैं। प्रत्येक नाटक के आरंभ में शीर्षक के साथ सुसंगत लगने वाला एक चित्र भी दिया गया है। इनमें से कई चित्र सुश्री एस्थर डेविड के है। समर्थ ट्रस्ट के भवानी दास इस पुस्तक में जो लिखते हैं उससे इसका उद्देश्य स्पष्ट होता हैः 'स्त्री-लेखिकाओं के द्वारा स्त्री की वास्तविकता को उकेरने वाली कहानियां, नाटक व कविताएं उपलब्ध हैं, पर सभी कुछ छिटपुट, बिखरा-बिखरा और बहुत थोड़ा है। उसका यदि सम्पादन करके प्रशिक्षण साहित्य के रूप में उपयोग किया जाए तो सदियों से चली आने वाली मौन की संस्कृति टूटे।' सम्पादक : हिमांशी शेलत, अदिति देसाई; योगदान ५० रु. पृष्ठ १८९, आवृत्ति-१, अगस्त २००४. प्राप्ति स्थान : समर्थ ट्रस्ट : क्यू ४०२ श्रीनंदनगर विभाग-२, वेजलपुर, अहमदाबाद ३८० ०५१. फोन : २६८२९००४. ई-मेल : samerth@satyam.net.in

नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

इस शीर्षक के तहत हिंदी में तीन विभिन्न पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया हैः (१) नगरपालिकाओं के सामने चुनौतियां (२) आर्थिक संकट से जूझती नगरपालिकाएं (३) नगरपालिका सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

प्रथम पुस्तिका में वर्तमान स्थित के संदर्भ में नगरपालिकाओं के कामकाज को समझने का प्रयास किया गया है। इसमें इसका कामकाज का ढाँचा कैसा है और खासतौर पर जल अवाप्ति, सफाई, बिजली व सड़कों की व्यवस्था कैसी है, इसका चित्र प्रस्तुत किया गया है। कई महानगरों की परिस्थिति कैसी है, इसे इस पुस्तिका से जानने को मिलता है।

दूसरी पुस्तिका में नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा का उसके कामकाज पर कैसा असर पड़ता है, इसका चित्र प्रस्तुत किया गया है। नगरपालिकाओं के वित्तीय संसाधन, उनके खर्च, करों की आय, ग्रांट की आय आदि के अनेक नगरों के विवरण देकर इस पुस्तिका में यह बताया गया है कि नगरपालिकाओं को आर्थिक तंगी का अनुभव करना पड़ता है। तीसरी पुस्तिका में नगरपालिकाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार हेतु उनके संसाधनों में वृद्धि किस तरह करें और आर्थिक स्थिरता किस तरह खड़ी करें, इससे संबंधित कुछ उपाय सुझाये गए हैं। इनें राज्यों में गठित प्रथम वित्त आयोग के विवरणों में जो कमियां है, उनकी ओर संकेत किया गया है और नये वित्त आयोग हेतु कुछ सुझाव दिये गए हैं। नगरपालिकाओं की शासन व्यवस्था में किस तरह समुदाय की भागीदारी खड़ी की जाए इस संबंध में कुछ ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किये गए हैं। धन-प्राप्ति नगरपालिकाओं की महत्वपूर्ण समस्या है, अतः जिन योजनाओं के तहत धन प्राप्त किया जा सकता है उनका विवरण भी इस तीसरी पुस्तिका में दिया गया है।

'प्रिया' के श्री मुकेश माथुरे द्वारा किये गए अध्ययन के परिणाम स्वरूप इन पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया है। प्रकाशक : 'प्रिया' ४० तुगलगाबाद इंस्टिट्यूनशनल एरिया, नई दिल्ली ११००६२. फोन : ०११-२९८९५६९०८. ई-मेल : info@pria.org

अन्न सुरक्षा का मार्ग : सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हेतु पंचायतों की क्षमता वृद्धि

यह एक शोध प्रतिवेदन है। यह तीन प्रश्नों को ध्यान में रखकर किये गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार हुआ है:
(१) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का तंत्र किस हद तक ऐसे लोगों को अन्न सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें इसकी वास्तव में जरूरत है? (२) इस व्यवस्था पर आश्रित गरीब और वंचित वर्तमान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के बारे में क्या विचार रखते हैं? (३) क्या ग्राम पंचायतें इस व्यवस्था के वास्तविक उपभोगकर्ताओं के विचारों और जरूरतों के अनुसार व्यवस्था को अधिक सहानुभूतिशील बनाने में मददगार हो सकती है?

'द हंगर प्रोजेक्ट' सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भुखमरी से मुक्त ऐसे एक नए भविष्य के निर्माण का साधन मानता है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा भुखमरी की समस्या को तथा अन्न व पोषण की असुरक्षा को दूर किया जा सकता है। अतः इन संशोधनों का उद्देश्य मात्र अकादमिक शोध करने का नहीं था वरन् गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था किस तरह संवेदनशील बने यह देखने व समझने का था तथा कैसी व्यवस्था सहभागी ढंग से निर्मित करने के सक्रिय प्रयास हेतु उसे आधार बनाने का भी था। यह अध्ययन इस धारणा के साथ कराया गया है कि यदि ग्राम पंचायतों को वाजिब भाव की दुकानें चलाने का काम सौंपा जाए तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह चल सकती है। इस अध्ययन के निष्कर्ष कहते हैं कि ग्राम पंचायतों को वाजिब भाव की दुकानें चलाने का काम सौंपा जा सकता है क्योंकि वे ऐसा करने को तैयार हैं। शोध प्रतिवेदन में आखिर में नीति विषयक और व्यवस्थापरक सिफारिशें की गई हैं। जो गैर-सरकारी संगठन पंचायतों को सक्रिय बनाने तथा अंत में गरीबों की दशा सुधारने का काम करते हैं उन्हें यह प्रतिवेदन एक नयी दिशा दिखाता है। शोधकर्ता : हेमंतकुमार शाह और प्रकाश बचारवाला; प्रकाशकः द हंगर प्रोजेक्ट, २०३ सारप बिल्डिंग, नवजीवन प्रेस रोड, अहमदाबाद, ३८० ०१४. फोन : ०७९-२७५४४१८९. ई-मेल : thpgujarat@rediffmail.com

पुलिस और प्रजा

इस पुस्तिका में पुलिस और नागरिकों के बीच के संबंध स्पष्ट किये गए हैं। अपने देश में ज्यादातर लोग कानूनी व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ हैं। कानून व कानूनी अधिकारों व कर्तव्यों की अज्ञानता के कारण लोग कानून भंग करते हैं अथवा अपने अधिकारों का लाभ नहीं ले सकते। अपने कानूनी अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी होने पर जरूरत पड़े तो नागरिक स्वयं के व दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। बहुधा कानून का अमल करने वाले अधिकारी कानूनी मर्यादा के बाहर का व्यवहार करते हैं अथवा आरोपी के साथ व्यवहार में गैर-कानूनी तरीके आजमाते हैं। ऐसे समय में यदि कानून की जानकारी हो तो पुलिस, सरकारी तंत्र, वकीलों व अन्य नागरिकों द्वारा होने वाले शोषण को वे रोक सकते हैं। इस प्रयोजन से यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

पुस्तिका में शामिल किये गए विषय इस प्रकार हैं : पुलिस याने कौन, पुलिस का काम क्या है, कानून के सामने सब समान हैं, प्रजा के कर्तव्य, पुलिस के कर्तव्य, पुलिस थाना, पुलिस तंत्र का ढांचा, गुनाह याने क्या, अपराध होने पर क्या करेंगे, धर-पकड़ में क्या क्या होता है, वारंट बिना धर-पकड़ हो सके ऐसी दशा, वारंट, जामिन, कोग्निजेबल अपराध, नोन-कोग्निजेबल गुनाह, जामिन-योग्य अपराध, गैर-जामिन-योग्य अपराध, धर-पकड़ के समय पुलिस का दायित्व, तलाशी का वारंट, धर-पकड़ के समय के अधिकार, धर-पकड़ के बारे में गलत मान्यताएं, पुलिस स्टेशन में जोर-जुल्म, फरियाद व फरियाद करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, स्त्री फरियादी के अधिकार, स्त्रियों के मामले में पुलिस-जांच, स्त्री की तलाशी और छानबीन, स्त्री की धर-पकड़ और कस्टडी, दहेज या बलात्कार संबंधी अपराध।

पूरी पुस्तिका में चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है और मोटे अक्षरों में चित्रों के साथ लिखा गया है, अतः यह पुस्तिका आसानी से समझ में आने वाली है। प्रत्येक मामले में क्या करना चाहिए, इसके बारे में सुझाव भी स्पष्ट भाषा में और बड़े अक्षरों में लिखा गया है। प्रकाशक : सामाजिक न्याय केंद्र, सी-१०६, रोयल चिन्मय, जजेज बंगला रोड, बोडकदेव, वस्त्रापुर, अहमदाबाद ३८० ०५४. फोन : ०७९-२६८५४२४८ पृष्ठ ३२, सहयोग राशि २५ रु.

अनदेखी भूमि के रक्तिम फूल

यह पुस्तिका किशोरियों व युवतियों के जीवन में घटने वाली

घटनाओं को छूने वाली कहानियों का संपादन है। ये २० कहानियां मानसिक, शारीरिक, धार्मिक तथा मनुष्यों द्वारा होने वाले दिखते-अनदिखते अन्याय की छनावट करती हैं। बालिका, किशोरी या युवतियां अपनी बैचेन कर देने वाली परिस्थिति की चर्चा अपने अभिभावकों, शिक्षकों या मित्रों के साथ खुले मन से नहीं कर सकने के कारण जो घुटन महसूस करती हैं, उनके कारण समस्या और ज्यादा संकुल बन जाती है। इस आयुवर्ग को ध्यान में रखकर जिन साहित्यिक कृतियों का सृजन हुआ है, उनमें से २० कहानियां यहां दी गई हैं।

इस संकलन में अजन्मे बालक-बालिका से लेकर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने वाली युवती तक के आयु वर्ग का समावेश हुआ है। साथ ही साथ कहानियों के विषय-वैविध्य को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया गया है। इस संग्रह में 'हजार वर्ष की अहिल्या' जैसी वैज्ञानिक स्पर्शवाली कहानी है तो प्रथम रजोदर्शन की वेला में बेचैनी अनुभव करने वाली किशोरी की बात 'मोगरे के सांप' में कही गई है। संपादक : सुश्री बकुला घासवाला और सुश्री आशा वीरेंद्र। प्रकाशक: दृष्टि मीडिया कलेक्टिव, वीमेन राइटर्स कलेक्टिव, प्रथम आवृत्ति, अगस्त २००४, पृष्ठ २५७, योगदान ५० रु. प्राप्तिस्थान : समर्थ ट्रस्ट, क्यू-४०२, श्रीनंदनगर विभाग-२, वेजलपुर, अहमदाबाद ३८० ०५१. फोन : २६८२२९००४. ई-मेल : samerth@satyam.net.in

विकलांगता सम्बंधी कुछ प्रकाशन

(१) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा किस तरह करें ?
इस शीर्षक के अधीन अंग्रेजी व गुजराती पुस्तिकाओं की ऑडियो कैसेट्स व सी.डी. तैयार की गई है।

यह इन व्यक्तियों के लिए उपयोग रहेगी: १. विकलांग व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए। २. विशिष्ट संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों के लिए। ३. विकलांगों के अधिकारों की रक्षा और समान अवसरों संबंधी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए।

(५) डिजाइन मैन्युअल फॉर ए बैरियर-फ्री बिल्ट एन्वायरन्मैंट
उम्र, स्त्री-पुरुष भेदभाव या परिस्थिति के भेदभाव के बिना मुक्त रूप से सुरक्षित ढंग से चलना-फिरना हो सके, काम हो सके और कहीं भी पहुँचा जा सके, ऐसा वातावरण अर्थात् अवरोधमुक्त वातावरण। ऐसा अवरोधमुक्त वातावरण बनाने के लिए जिन-जिन बातों की जरूरत है, वे कैसे निर्मित की जाएं, उनका यह मैन्युअल तैयार किया गया है। इसमें निम्न बातों का समावेश हैं : (१) विकलांगों के लिए उपयोगी निशानियां (२) विकलांगों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली व्हील चेयर और लकड़ी जैसी वस्तुओं की व्यवस्था। (३) अलग-अलग प्रकार के मकानों में व्हील-चेयर जा सके और बैसाखी या लकड़ी के साथ विकलांग व्यक्ति जा सके, ऐसी जगहें (४) मकानों में रास्तों, बीच की जगहों, दालान, सीढियों जैसी जगहों पर विकलांग व्यक्ति अवरोध मुक्त घूम-फिर सके, ऐसी सुविधा (५) मकानों के प्रवेश द्वार की जगहों को विकलांगों के लिए अनूकूल बनाना (६) मकानों के दरवाजे ऐसे बनाना जिससे विकलांग आसानी से खोल सकें और व्हील चेयर द्वारा प्रवेश कर सकें (७) मकानों की खिड़कियां ऐसी बनाना जिन्हें विकलांग व्यक्ति खोल सकें और बंद कर सकें तथा खिड़कियों से बाहर देख सकें (८) विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल बाथरूम व शौचालय तैयार करना (९) पेयजल की अनुकूल व्यवस्था बनाना (१०) विकलांग व्यक्ति के अनुकूल रसोईघर बनाना (११) घर के सामान की संग्रह व्यवस्था को अनुकूल ढंग से जमाना (१२) फोन की व्यवस्था तुरंत उपयोग में आये, इस ढंग से जमाना (१३) बैठने की कुर्सियां टेबल आदि फर्नीचर की व्यवस्था सानुकूल ढंग से करना (१४) आटोमेटिक टेलर मशीन आसानी से उपयोग में आ सकें, इस ढंग से जमाना (१५) आसानी से चेतावनी देने वाली घंटी बजा सके अथवा सूचना दे सके ऐसी सांकेतिक व्यवस्था बनाना (१६) विकलांग व्यक्ति व्हील चेयर के साथ उपयोग में ला सकें ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसे लाइट चालू-बंद करना आदि। उपर्युक्त समस्त साहित्य प्राप्त करने हेतु सम्पर्क साधें: 'उन्नति'

इन तीन महीनों की अवधि में हमने निम्नांकित प्रवृत्तियां हाथ में ली थी :

(१) सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण

दलित

पश्चिमी राजस्थान में 'दलित अधिकार अभियान' में महिलाओं के समावेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। जोधपुर व बाड़मेर जिलों के तीन खंड़ों में खंड स्तरीय दो दिवसीय कार्यशालाएं समुदाय की महिला नेताओं हेतु आयोजित की गई। महिला सामुदायिक नेतृत्व विकास की इन कार्यशालाओं में ७३ महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं से संबंधित सामाजिक न्याय कानूनों हेतु दो दिवसीय कार्यशाला बालेसर खंड में आयोजित की गई थी जिसमें २३ महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं की समस्याओं के बारे में संवेदनशीलता पैदा करने हेतु बाड़मेर जिले के सिंदरी व बैतू खंडों के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें ६० लोगों ने भाग लिया। तीन दिनों की एक कार्यशाला 'दलित अधिकार अभियान' की कार्यकर्ताओं हेतु आयोजित की गई थी जिसमें २३ कार्यकर्ताओं ने (पति/पत्नी) के साथ सहभागिता की। दलित अधिकार अभियान की क्षेत्रीय समिति के सदस्यों की पैरवी पर क्षमता बढ़ाने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें अभियान की उपलब्धियों और उनके समक्ष चुनौतियों के बारे में तथा अभियान को एक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में विकसित करने की व्यूह रचना के बारे में चर्चा हुई थी। पाकिस्तान से आये विस्थापितों को नागरिकता दिलाने के प्रयास पाक विस्थापित मंच द्वारा किये जा रहे हैं। सरकार ने फीस कम की है और फरवरी २००५ तक एक लाख विस्थापितों को नागरिकता का अधिकार देना तय किया है। उस समय तक उन्हें सभी प्रकार के दस्तावेज इकट्ठे करने की कार्यवाही पूरी करनी होगी।

विकलांगता

गुजरात में जागृत्ति उत्पन्न करने के कार्यक्रमों के द्वारा सभ्य समाज की सहभागिता खड़ी करने पर विशेष बल दिया गया था। बड़ौदा और साबरकांठा में हैंडिकेप इंटरनेशनल के साथ सहभागी संगठनों 'यूनाइटेड वे ऑफ बरोडा' और 'नेशनल एसोसिएसन फॉर द ब्लाइंड' के सहयोग से दो एक-दिवसीय परिसंवाद आयोजित किये गए थे। इन परिसंवादों का प्रयोजन गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायियों, विद्वद्जनों, विकलांग लोगों, विकलांगों के पुनर्वास हेतु काम करने वाले संगठनों, मीडिया और संबंधित नागरिकों के साथ संवाद खड़ा करके विकलांगों के अधिकारों को प्रोत्साहन देना था। 'ग्राम विकास सेवा ट्रस्ट' के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के नेताओं, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्वास्थ्यकर्ता जैसे सामुदायिक नेताओं हेतु विकलांगों की समस्याओं के विषय में एक दिवसीय नौ अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। इसके अलावा स्वयं-सहायता समूहों के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम-१९९५ के विषय में आधे दिनों के छह जागृति कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। बड़ौदा में 'विकास ज्योत ट्रस्ट' के सहयोग से माता-पिता, शिक्षकों, शालायी बालकों तथा विकलांग बालकों के लिए 'समावेशी शिक्षण' के बारे में दो एक-दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। भुज के 'श्री युवा विकलांग मंडल' के सहयोग से 'विकलांग और जीवन निर्वाह' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। जीवन निर्वाह हेतु विकलांगों को पीड़ित करने वाली समस्याओं और चुनौतियों के बारे में इस नेटवर्क के सदस्यों की क्षमता बढ़ाने तथा अन्य विकासपरक संगठनों की संवेदनशीलता खड़ी करने हेतु यह कार्यशाला आयोजित की गई थी।

'विश्व विकलांगता दिवस' के अवसर पर तीन दिसंबर को गुजराती में चार और हिन्दी में एक पोस्टर का सेट छपाया गया था और विविध सहभागी संस्थाओं द्वारा कई विकासात्मक व विशेष संस्थाओं में उनका वितरण किया गया था। मुख्य विकलांग कमिश्नर के कार्यालय द्वारा विकलांगों के मुद्दों पर दो फिल्में 'समावेशी शिक्षण' और 'रोजगार' स्थानीय संदर्भ में उपयोग के लिए गुजराती में डब की गई थी।

समस्त सार्वजनिक भवन विकलांगों हेतु सुलभ बनें, इस हेतु सुलभता संसाधन समूह के सदस्यों 'वास्तु शिल्प फाउन्डेशन', 'एचसीपी

डिजाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रा.लि., 'माइण्डस् आई डिजाइन', 'ईपीसी', 'उन्नति' तथा 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' द्वारा 'अवरोध मुक्त पर्यावरण हेतु डिजाइन मैन्युअल' तैयार किया गया तथा प्रकाशित किया गया। अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में इसे जारी किया गया था। इंटरेक्टिव सीडी के रूप में भी यह मैन्युअल उपलब्ध है।

भूंकपग्रस्तों का पुनर्वास

गुजरात के कच्छ के भचाऊ नगर में और नगर के आसपास ५०० महिलाओं के १८ स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जीवन निर्वाह हेतु सहयोग देने के लिए २०० महिला कारीगरों को प्रति माह डिजाइन, सिलाई, गुणवत्ता नियंत्रण, भाव निर्धारण और ग्राहकों तक वस्तुएं पहुंचाने के विषय में रोजगार के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। तीन प्रदर्शनियों द्वारा इनकी वस्तुओं का विक्रय किया गया था। तैयार वस्त्रों के कई नमूने भी तैयार किये गए थे। निवास हेतु सहयोग देने के लिए इन समूहों में से ३० परिवारों का चयन किया गया था।

(२) नागरिक नेतृत्व और शासन

ग्रामीण शासन

गुजरात में अक्टूबर-२००४ के दौरान ग्रामीण महिला दिवस मनाने हेतु अहमदाबाद व साबरकांठा जिलों में नौ तहसीलों में २१ महिला सम्मेलन आयोजित किये गए थे। उनमें ७७७ निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों, आंगनवाडी व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। साबरकांठा जिले में नागरिक नेताओं हेतु दूसरे चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था जिसमें ३५ नेताओं ने भाग लिया था। सामाजिक न्याय समितियों के १५० सदस्यों को पंचायती राज और उनकी भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के बारे में अभिमुख किया गया था। 'सेंटर फोर एन्वायरन्मैंट एज्युकेशन' द्वारा आयोजित टिकाऊ विकास पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय विमर्श सभा हेतु और 'जीवन दर्शन' तथा 'सेतु' (अभियान, कच्छ) के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण द्वारा क्षमता वृद्धि में सहयोग प्रदान किया गया। आणंद की 'इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेन्ट' (ईरमा) की रजत जंयती के प्रसंग पर हमने 'स्थानीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण' विषय पर एक अध्ययन लेख प्रस्तुत किया था। देश में पंचायती राज की स्थिति के आकलन हेतु आयोजित तीसरी व चौथी गोलमेज परिषद् हेतु गुजरात से सूचना एकत्र की गई थी।

राजस्थान में जनवरी २००५ के अंत में पंचायतों के तीसरे दौर के चुनाव कराए जा रहे हैं। सहभागी संगठनों के साथ मिलकर पश्चिमी राजस्थान में पांच जिलों में हमने 'चुनाव पूर्व मतदाता जागृति अभियान' (पिवेक) हाथ में लिया। पोस्टरों व ऑडियो कैसेट्स का गांवों में वितरण किया गया था। रेडियो कार्यक्रम के गुजरात के अनुभव के आधार पर दिसंबर से ऐसा ही कार्यक्रम जोधपुर से साप्ताहिक स्तर पर प्रसारित हो रहा है। कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद श्रोता फोन पर सवाल पूछें ऐसी हैल्प लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार ने सरकारी योजनाएं लोगों हेतु सुलभ बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अतः सप्ताह के अमुक दिनों में सरकारी अधिकारी पंचायतों में आते हैं और लोगों के साथ सीधे ही बातचीत करते हैं व उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं। हमने ६० गांवों में इस अभियान को सहयोग प्रदान किया है।

शहरी शासन

गुजरात के पांच नगरों में 'नागरिक सहयोग केंद्रों' के द्वारा नागरिकों की विविध समस्याएं उठाई जा रही हैं। धोलका, साणंद और खेडब्रह्मा में सरकारी योजनाओं की प्राप्यता पर देखरेख हेतु सहभागी प्रक्रिया हाथ में ली गई है। साबरकांठा जिले पांच नगरों में - प्रांतिज, ईडर, मोडासा, तलोद और हिम्मतनगर की सेवाओं की सहभागी देखरेख प्रक्रिया हेतु प्रत्येक नगर में सभाएं आयोजित की गईं थीं। उनमें

नगरपालिका और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नगरों की समस्याओं की चर्चा की गई थी। भचाऊ नगर में 'भाडा', जिले का प्रशासन तंत्र, और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग से सुरक्षित मकान बनाने और कानूनन निर्माण कार्य जमीन पर करने हेतु १० दिनों हेतु एक अभियान हाथ में लिया गया था। जिन परिवारों के पास कानूनन जमीन नहीं, उनसे संयुक्त रूप से सम्पर्क किया गया और मकान के निर्माण कार्य या पुनः सुदृढीकरण हेतु स्थल पर निर्णय लिये गए। अंजार नगर में ऐसे ही राशन कार्ड धारी परिवारों का एक सर्वेक्षण हाथ में लिया गया जिनके पास पट्टा नहीं था। उनमें से ११७ परिवार अन्य स्थानों पर जाने के लिए तैयार हुए है।

अंजार नगर हेतु डिजाइन व निरीक्षण कन्सल्टेंट 'टाटा कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग' (टीसीई) के सहयोग से नगर के ढांचागत विकास के लिए एक सूचना प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया लघु एवं मध्यम नगरों के नगर सेवकों और अधिकारियों की क्षमता वृद्धि हेतु 'सिटी मैनेजर्स एसोशियेशन गुजरात' तथा 'एन्वायरन्मैंटल प्लानिंग कोलेबोरेटिव (ईपीसी)' के सहयोग से दूसरी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तदुपरांत कड़ी व बावला नगरपालिकाओं के साथ बातचीत शुरू हुई है। धोलका नगर में बजट बनाने में तथा संसाधन एकत्र करने में नागरिकों की सहभागिता मापने हेतु एक सहभागी अध्ययन हाथ में लिया गया था। उसके निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि इसमें नागरिक शामिल नहीं है, पर राजनीतिक नेता अपने हितानुसार समस्याएं पहचानते हैं और बजट में उनका समावेश करते हैं।

(३) 'चरखा' की प्रवृत्तियाँ

'चरखा' द्वारा भावनगर के 'शैशव', अहमदाबाद के 'सेंटर फोर सोशियल जस्टिस', सूरत के एल.ए.एम.आर.सी. और झघडिया के 'सेवा-रूरल' संगठनों हेतु लेखन कौशल का प्रशिक्षण दिया गया था। इस तीन माह की अवधि के दौरान विविध विकासपरक मुद्दों के बारे में कुल ११ लेख कर्मशीलों द्वारा तैयार हुए थे और वे पांच अखबारों में प्रकाशित हुए थे। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 'जमीन का स्वामित्व और महिलाएँ' तथा 'आदिवासी और स्थानीय स्वशासन' के बारे में कर्मशीलों हेतु लेखन स्पर्धा आयोजित की गई थी। इस स्पर्धा में राज्य के कर्मशीलों की ओर से १६७ लेख मिले थे। इसके अलावा गुजरात युनिवर्सिटी, गुजरात विद्यापीठ और सौराष्ट्र युनिवर्सिटी के चार विद्यार्थियों को विकासपरक मुद्दों के लेखन हेतु फैलोशिप दी गई थी। 'चरखा' द्वारा जुलाई २००४ से 'विकास गोष्ठी' चलाई जा रही है। हर माह प्रथम शुक्रवार को प्रातः ११.३० पर विविध विकासपरक समस्याओं के बारे में विविध गैर-सरकारी संगठनों के नेता रहते हैं। इन तीन महीनों के दौरान ग्रामीण महिलाओं, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और गुजरात के आदिवासियों की समस्याओं और उनके हल के लिए पत्रकारों को अभिमुख किया गया।

उन्नति

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन
जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015
फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: unnatiad1@sancharnet.in
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान
फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी
मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-55612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।